क्रम-सं०-318(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०-91 / 2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर, 2013
अग्रहायण 21, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 907/15-9-13-25(30) / 2004-टी०सी०
लखनऊ, 12 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

सा०प०नि०–74

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2000) की धारा–18 की उपधारा–(4) के साथ पठित धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन उक्त परिषद् द्वारा नियुक्त समितियों और उप समितियों के गठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियमावली बनाता है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1.01–यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 कही जाएगी ।

1.02–यह गजट में प्रकाशन के दिनाँक से लागू होगी।

अध्याय–दो

परिषद् की समितियाँ

2.01–उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त परिषद् भिन्न–भिन्न विषयों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (3) के अधीन पाठ्यक्रम समितियाँ नियुक्त करेगी ।

2.02–किसी पाठ्यक्रम समिति में परिषद् द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाय, तीन से कम तथा सात से अधिक नहीं होगी ।

2.03–किसी विषय की पाठ्यक्रम समिति का गठन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :–

(क) परिषद् के ऐसे सदस्य, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों,सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम समिति के लिए निर्वाचित किए जाएगें ।

(ख) यदि परिषद् के ऐसे सदस्य,जो सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ हों,पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो बाहर से सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ जिनके नाम का प्रस्ताव परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाय,नियुक्त किए जायेंगे, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में निवास करते हों और सम्बन्धित समिति की सदस्यता स्वीकार करें ।

(ग) संरचनात्मक विषय के पाठ्यक्रम समिति के मामले में,सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जाएंगे कि संरचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व कम से कम तद्विषयक एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाय ।

(घ) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के विशेषज्ञों के नाम पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित न किए जायें, वहाँ अध्यक्ष को उस विषय या विषयों के विशेषज्ञों को अपेक्षित सीमा तक नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा ।

(ङ) परिषद् का कोई सदस्य या बाहरी विशेषज्ञ दो से अधिक पाठ्यक्रम समितियों में कार्य नहीं करेगा ।

(च) अध्यक्ष को किसी पाठ्यक्रम समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाय कि सदस्य उस पाठ्यक्रम समिति के उस विषय का विषय विशेषज्ञ नहीं है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, परन्तु ऐसी किसी नियुक्ति को तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को यह बताने का अवसर न दे दिया जाय कि वह सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ है ।

स्पष्टीकरण–इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी विषय के विशेषज्ञ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तर मध्यमा कक्षाओं में प्राध्यापक के रूप में उस विषय को पढ़ाने के लिए विहित न्यूनतम अर्हता धारित करता हो।

2.04–यदि परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी विषय के बाहरी विशेषज्ञों की संख्या ऐसे विषय के पाठ्यक्रम समिति के गठन के लिए अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक हो तो परिषद् द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

2.05 –परिषद् की प्रत्येक समिति का एक संयोजक होगा जो परिषद् द्वारा सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से नामित किया जाएगा,परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक समिति के संयोजक के रूप में कार्य नहीं करेगा। किसी समिति के संयोजक के पद पर न रहने की स्थिति में, परिषद् का अध्यक्ष सम्बन्धित समिति के सदस्यों में से कार्य संचालन के लिए एक प्रतिस्थानी नामनिर्दिष्ट करेगा जब तक कि परिषद् अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में नामनिर्दिष्ट संयोजक का अनुमोदन समिति की शेष अवधि के लिए न कर दे ।

2.06–निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल जैसा कि उ0प्र0 अधिनियम सं0 32, सन 2000 की धारा 5 की उप धारा (1) में निर्धारित है, समाप्त होने के कारण रिक्ति होने की दशा में और परिषद् का गठन सम्भव नहीं था और धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी समिति का पुनर्गठन करना अपेक्षित हो तो इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी ऐसी समिति का गठन विनियमावली में उल्लिखित संख्या से कम सदस्यों से भी किया जा सकता है ।

अध्याय–तीन

पाठ्यक्रम समितियाँ

3.01–परिषद् प्रत्येक विषय की एक पाठ्यक्रम समिति नियुक्त करेगी जिसका वर्गीकरण ऐसे रूप में तथा ऐसे परिवर्धनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायेगा जैसा परिषद् समय–समय पर विनिश्चित करे ।

3.02–प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का विवरण प्रस्तावित करेगी । उक्त समिति समुचित पुस्तकों को इतनी संख्या में प्रस्तावित भी करेगी जितनी समिति परिषद् द्वारा संस्तुत और नियत किए जाने हेतु ठीक समझे।

3.03–पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें साधारणतया सितम्बर और दिसम्बर के बीच आयोजित होंगी । पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव यथाशीघ्र पाठ्यचर्या समिति को भेजे जायेगें । पाठ्यचर्या समिति प्रस्तावों पर विचार करेगी और अपना सम्प्रेक्षण अंकित करेगी । पाठ्यचर्या समिति के सम्प्रेक्षण के साथ पाठ्यक्रम समिति के प्रस्ताव परिषद् के समक्ष उसकी अगली बैठक में उसके विनिश्चय हेतु रखे जायेंगे।

3.04–परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरणिका में प्रकाशित किए जायेंगे जिसे परिषद् के सचिव द्वारा उस परीक्षा जिसके लिए वे पाठ्यक्रम विहित किए गए हैं, के दिनाँक से लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किया जायेगा :

परन्तु यह कि परिषद् प्रथमा,पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के लिए या तीनों परीक्षाओं के लिए संयुक्त रूप से विवरणिका प्रकाशित कर सकती है ।

परन्तु यह और कि परिषद् किसी परीक्षा के समस्त विषयों के सम्बन्ध में विवरणिका प्रकाशित करने के बजाय केवल एक या अधिक विषयों के लिए विवरणिका प्रकाशित कर सकती है ।

3.05–(1) परिषद् अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रमों के अनुसार ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें वह आवश्यक समझे, पाठ्य पुस्तक और अन्य सम्बन्धित सामग्री, यदि कोई हो,तैयार करा सकती है और क्रमशः सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा उनका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात परिषद् राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उन्हें प्रकाशित करायेगी। तब परिषद् उन्हें पाठ्य पुस्तकों के रूप में विहित करेगी ।

(2) खण्ड (1) के अधीन किसी विषय की प्रत्येक पुस्तक को, जिसके अन्तर्गत संकलन के रूप में मौलिक रचनायें भी हैं, तैयार करने के लिए निम्नलिखित बोर्ड गठित किए जाएगें, अर्थात–

(एक) सम्पादक /लेखक बोर्ड, और

(दो) परामर्शदाता बोर्ड

(3) (क) उपखण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पादक/लेखक बोर्ड में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

1–एक अध्यापक जो वास्तव में पूर्व मध्यमा कक्षाओं में सम्बन्धित विषय पढ़ाता हो,

2–एक अध्यापक जो वास्तव में उत्तर मध्यमा कक्षाओं से सम्बन्धित विषय पढ़ाता हो,

3–स्नातकोत्तर/ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का सम्बन्धित विषय का एक अध्यापक,

4–किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक अध्यापक,

5–दो शैक्षिक विशेषज्ञ/विषय–विज्ञ(विशेषज्ञ)।

(ख) प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा कक्षाओं के लिए पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक बोर्ड में, उत्तर मध्यमा कक्षा के किसी अध्यापक को जो सम्बन्धित विषय को पढ़ाता हो,सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, किन्तु उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिए पुस्तक तैयार करने के लिए गठित सम्पादक/लेखक बोर्ड में सम्बन्धित विषय का प्रथमा या पूर्व मध्यमा का कोई अध्यापक सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(ग) अध्यक्ष को उपखण्ड (क)में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सम्पादक/लेखक बोर्ड में एक सदस्य, यदि वह आवश्यक समझे,नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी । उसे सम्पादकों/लेखक बोर्ड में किसी रिक्ति को स्वविवेक से, जब कभी रिक्ति घटित हो, भरने की भी शक्ति होगी ।

(4) परामर्शदाता बोर्ड में तीन सदस्य होंगे जो सम्बन्धित विषय के उत्कृष्ट विद्वानों में से नियुक्त किये जायेंगे ।

(5) खण्ड (2) में निर्दिष्ट बोर्ड के गठन के लिए सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के पाँच गुने नाम प्रस्तावित करेगी । अध्यक्ष उक्त पैनल में से प्रत्येक वर्ग के लिए अपेक्षित सदस्यों को नियुक्त करेगा, परन्तु यदि उसकी राय में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों और विषय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक हो, तो वह पैनल के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है ।

(6) यदि सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति पुस्तक को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व यदि वह आवश्यक समझे तो वह पाण्डुलिपि को तैयार करने के दौरान सम्पादक/लेखक बोर्ड को अपना सुझाव दे सकती है।

(7) किसी पुस्तक के लिये पाण्डुलिपि अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात, उसे क्रमशः सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और तत्पश्चात परिषद उसे राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित करायेगी।

(8) परिषद् द्वारा तैयार की गयी किसी पुस्तक को चार परीक्षाओं तक उसके प्रचलित रहने के पश्चात–पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात बदला जा सकता है, परन्तु उसमें छोटे–मोटे परिवर्तन परिषद् द्वारा जब तथा जैसा आवश्यक हो, किये जा सकते हैं ।

3.06–विनियम 3.05 में किसी बात के होते हुए भी जब कभी भी परिषद् आवश्यक समझे वह राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष की अवधि के लिए किसी विषय में पुस्तकें आमंत्रित कर सकती है । यदि परिषद् कोई घोषणा गजट में प्रकाशित कराना चाहती है तो वह पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम समिति के समक्ष उसकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकती है । ऐसे मामलों में पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा समीक्षकों को शुल्क का भुगतान अग्रलिखित रीति से होगा :

(1) पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के समीक्षकों के कम से कम तिगुने नामों की सूची तैयार करेगी और जो सचिव द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी । जिन समीक्षकों का नाम सूची में सम्मिलित किया जायेगा वे उस विषय में भली–भाँति अर्हता प्राप्त होंगे, जिसमें पुस्तक की समीक्षा की जानी है । समीक्षकों की नियुक्ति ऐसी सूची में से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों का समीक्षक नहीं होगा।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय में परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा पाठ्यक्रम समिति का सदस्य हो वहाँ, परिषद् के उस विषय में पुस्तक आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसे पुस्तक को स्वीकृत अथवा नियत किए जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक, जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिनमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित निहित है, उस विषय में परिषद् की किसी भी परीक्षा के लिए विचार किए जाने योग्य न होगी ।

(4) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(5) समीक्षकों, प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में यथोचित गोपनीयता बनाये रखी जाएगी । प्रत्येक समीक्षक पुस्तक के गुणों और दोषों का विवरण विस्तार से प्रस्तुत करेगा। यदि पुस्तक अस्वीकृत की जाती है तो समीक्षक अपनी राय लिखित रूप से व्यक्त करेगा ।

(6) प्रत्येक समीक्षक समुचित पुस्तकों को उनके गुण तथा दोष के क्रम में व्यवस्थित करेगा ।

(7) पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा कक्षाओं की प्रत्येक पुस्तक के लिये पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से दिया जायेगा :–

प्रथमा और पूर्व मध्यमा

30 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ तक हैं ।

45 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ से अधिक किन्तु 200 पृष्ठ से अनधिक हैं।

60 रुपये, यदि पाठ्यपुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक हैं ।

उत्तर मध्यमा

40 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ तक हैं ।

55 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 100 पृष्ठ से अधिक किन्तु 200 पृष्ठ से अनधिक हैं ।

75 रुपये,यदि पाठ्यपुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक हैं ।

(8) प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा तीन समीक्षकों के पैनल द्वारा की जाएगी।

(9) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से समीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा :-

प्रथमा और पूर्व मध्यमा

भाषा विषय की प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के लिए 300 रुपये ।

भाषा विषय की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए 200 रुपये ।

अन्य विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 200 रुपये ।

उत्तर मध्यमा

भाषा विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 350 रुपये ।

भाषा विषय की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिए 250 रुपये ।

अन्य विषय की प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के लिए 250 रुपये ।

(10) प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन रु0 20 की कटौती के पश्चात शुल्क वापस कर दिया जायेगा :-

(क) जब समीक्षा शुल्क अनुज्ञेय न हो, किन्तु यह भुगतान किया गया था ।

(ख) जब पाठ्य पुस्तक की समीक्षा नहीं की जाती है, जबकि प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा समीक्षा शुल्क का भुगतान किया गया था।

(ग) जहाँ उन पुस्तकों के लिये समीक्षा शुल्क जमा किया गया था, जिन्हे प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा गया था ।

(घ) जहाँ समीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया था परन्तु परिषद को पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध करवायी गयी थी।

3.07-इस अध्याय के विनियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद् को किसी वर्ष की परीक्षा के लिए कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा अनुमोदित करने का प्राधिकार होगा ।

3.08-कोई समिति सम्बन्धित विषय अथवा विषयों के सम्बन्ध में परीक्षा और पाठ्यक्रम विषय या विषयों से सम्बन्धित किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है ।

3.09-परिषद् के अनुरोध पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और किसी मामले पर, जिससे वे अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से सम्बन्धित है,संयुक्त रिपोर्ट दे सकती है।

अध्याय-चार

पाठ्यचर्या-समिति

4.01-पाठ्यचर्या समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(1) ऐसी रीति से निर्वाचित परिषद् के पाँच सदस्य कि कम से कम एक सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा,

(2) विभाग के विशिष्ट संस्थाओं के निदेशक/प्रधानाचार्य और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि जो परिषद् के सदस्य हों,

(3) उन विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीकृत उम्मीदवारों की संख्या हाई स्कूल परीक्षा में पचास हजार से कम हो, विभिन्न विषय पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक, परन्तु वे परिषद के सदस्य हों,

(4) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य-सचिव के रूप में ।

4.02-परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अध्यधीन पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(क) परिषद् की प्रत्येक परीक्षा के अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना,

(ख) प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा सोपानों के पाठ्यक्रमों के मानकों को नियमित श्रेणीक्रम में व्यवस्थित करना,

(ग) इण्टरमीडियट परीक्षा के लिए ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालयी और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त हो सके,

(घ) नये विषयों को प्रवेश करने और विद्यमान विषयों को अपवर्जित करने के प्रस्तावों पर विचार करना,

(ङ) विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना,

(च) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न-पत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए समयावधि निश्चित करना,

(छ) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना,

(ज) सम्बन्धित पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुतियाँ प्राप्त होने के पश्चात विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार के मानक की संस्तुति करना,

(झ) अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना; और

(ञ) अध्यापकों, संस्थाओं के प्रधानों और संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम अर्हतायें विहित करना।"

अध्याय–पाँच

परीक्षा समिति

5.01–परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(क) ऐसी रीति से निर्वाचित परिषद् के पाँच सदस्य कि कम से कम एक सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा ।

(ख) परिषद् का सचिव समिति का पदेन संयोजक होगा ।

5.02–परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अध्यधीन परीक्षा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

(1) परिषद् की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए तिथियों की संस्तुति करना, परन्तु किसी अकल्पित परिस्थिति या घटना में अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्नपत्र में परीक्षा को निरस्त करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न–पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगी,

(2) परीक्षकों, अनुसीमक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदनार्थ परीक्षकों और अनुसीमकों की सूची तैयार करना,

(3) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए सारणीयक (टेबुलेटर) और मिलान कर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की संस्तुति करना,

(4) ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का सन्देह हो या उक्त के संबंध में रिपोर्ट की गयी हो, उत्तर पुस्तिकाओं की छानबीन के लिए प्रतिच्छादक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना,

(5) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रारूप विहित करना,

(6) परिषद् की परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों का प्रारूप विहित करना,

(7) मौखिक और कियात्मक परीक्षा के आयोजित किये जाने की पद्धति विहित करना,

(8) परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संग्रह केन्द्रों को स्थापित करने के बारे में नीति के निर्माण के लिए संस्तुति प्रदान करना,

परन्तु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक परीक्षा केन्द्रों को स्थापित करने के लिए, अपने सभापतित्व के अधीन गठित उप समिति के माध्यम से निम्नलिखित रीति से प्रस्ताव करेगा :–

(एक) सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक,

(दो) मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें,

परन्तु यह और कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा गठित ऊपर उल्लिखित उप समिति जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे :–

(एक) जिला विद्यालय निरीक्षक –अध्यक्ष

(दो) जिले के राजकीय इण्टर कालेज का एक ज्येष्ठ प्रधानाचार्य –सदस्य

(तीन) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य

(चार) माध्यमिक संस्कृत विद्यालय का एक ज्येष्ठ प्रधानाचार्य –सदस्य

परन्तु यह और कि किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यॉकन केन्द्र अथवा संग्रहण केन्द्र को परिस्थितियों के अधीन यथा अपेक्षित परिवर्तित करने या गठित करने अथवा विघटित करने की शक्ति परिषद के सचिव के पास होगी ।

(9) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना,

(10) परीक्षार्थियों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना,

(11) परिषद की परीक्षाओं के परिणाम को प्रकाशित करने के लिए प्रबन्ध करना,

(12) किसी कदाचार या उपेक्षा के लिए दोषी पाये गए परीक्षार्थियों, अनुसीमकों, संकलनकर्ताओं और मिलानकर्ताओं को दिए जाने वाले दण्ड की संस्तुति करना,

(13) परिषद द्वारा समनुदेशित परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य विषय के बारे में विचार करना और संस्तुति देना,

(14) परिषद की परीक्षाओं के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र की छान–बीन के लिए एक उप–समिति नियुक्त करना और परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करना ।

अध्याय–छ:

अनुचित साधनों के मामलों की निस्तारण समिति

6.01–परिषद की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों के निस्तारण के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति होगी। समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) परीक्षा समिति अथवा परिणाम समिति का एक सदस्य, जो समिति का संयोजक होगा;

(2) परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य ।

(3) सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला परिषद का एक उप सचिव।

समिति की शक्तियाँ और कृत्य

6.02–(1) ऐसे मामलों, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या प्रयोग करने का सन्देह हो या परीक्षा के दौरान कपट या किसी नैतिक अधमता के अपराध से अन्तर्ग्रस्त या अनुशासनहीनता का अपराध किया हो या नियमों का उल्लंघन कर किसी लिपिक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या उत्तर पुस्तिका लेकर भाग गया हो या उत्तर पुस्तिका नष्ट कर दी हो, पर विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो सकती है :–

(क) सम्बन्धित परीक्षा का निरसन;

(ख) सम्बन्धित परीक्षा अथवा उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है से अपवर्जन;

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण–पत्र का प्रत्याहरण,

(2) केन्द्र अधीक्षक, संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध परिषद की परीक्षा में की गई उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनियमितता के संबंध में शिकायतों पर विचार करना और उनमें से किसी को दिए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना,

(3) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट नहीं है,

(4) अन्य ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना जो समय–समय पर इसे परिषद द्वारा समनुदेशित किये जायें।

अध्याय—सात

परिणाम समिति

7.01—परिणाम समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :—

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष के रूप में ,

(ख) परिषद् के निर्वाचित होने वाले पाँच सदस्य जिनका चयन ऐसी रीति से किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) की श्रेणियों में विनिर्दिष्ट है। प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो।

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य सचिव होगा ।

7.02—परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन परिणाम समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(1) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा करना एवं उसे घोषित करना तथा आवश्यकतानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना ।

(2) प्रश्नपत्रों के विरुद्ध ऐसी शिकायतों की समीक्षा करना जो परीक्षा परिणाम प्रभावित करते हैं।

(3) उन परीक्षार्थियों के बारे में विनिश्चय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न पत्रों में अथवा संपूर्ण विषय में सम्मिलित होने में असमर्थ रहे ।

(4) त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्रों के मामलों का विनिश्चय करना।

(5) उन परीक्षार्थियों के मामलों में विनिश्चय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा अवधि के आधा घन्टे के पश्चात प्रवेश की अनुमति दी गयी थी ।

(6) किसी जिले की परीक्षाओं की विशेष व्यवस्था के बारे में विनिश्चय करना ।

(7) प्रश्नपत्र निर्धारित समय से पूर्व खोलने और परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय प्रदान करने के मामलों में विनिश्चय करना।

(8) उन अभ्यर्थियों के बारे में विनिश्चय करना जिनकी उत्तर पुस्तिकायें खो गयी हैं या जो परिणाम घोषित किए जाने के दो माह की अवधि के पश्चात न पायी गई हों ।

(9) परीक्षार्थियों द्वारा तथ्य छिपाने, आवेदनपत्र में मिथ्या कथन या अन्यायपूर्ण रीति के माध्यम से प्रवेश पाने या परीक्षाओं में अविधिमान्य साधनों का प्रयोग, नैतिक अधमता का अपराध अथवा अनुशासनहीनता के मामलों में परिणाम रोकना ।

(10) घातक शस्त्र ले जाने या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति पर, शैक्षणिक परिसर के अन्दर अथवा बाहर,हमला करने या हमला करने की धमकी देने या प्रतिसिद्ध भाषा का प्रयोग करने या मिथ्या आधार पर परिणाम घोषित किये जाने की सुविधा प्राप्त करने के मामले में परिणाम रोकना।

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् द्वारा समय—समय पर प्रत्यायोजित किया जाय ।

अध्याय—आठ

वित्त—समिति

8.01—वित्त समिति परिषद् के वित्त संबंधी समस्त मामलों में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी।

8.02—वित्त समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :—

(क) परिषद् का एक सदस्य जो राज्य विधान सभा का सदस्य हो—संयोजक।

(ख) परिषद् के पाँच सदस्य जो ऐसी रीति से निर्वाचित किये जाएंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पाँच श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(ग) परिषद् का सचिव उसका पदेन सदस्य सचिव होगा।

8.03—वित्त समिति परिषद् के विचारार्थ विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य बातों के लिये प्रभारित की जाने वाली शुल्क की धनराशि के लिए संस्तुति करेगी।

8.04—वित्त समिति परिषद् के विचारार्थ परिषद् के विभिन्न पारिश्रमिक वाले कार्यों के लिये पारिश्रमिक दरों की भी संस्तुति करेगी।

8.05—वित्त समिति परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित किये गये परिषद् सम्बन्धी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।

अध्याय–नौ

मान्यता–समिति

9.01–मान्यता समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) परिषद् के पाँच सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 की धारा 18 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व हो जाय ।

(2) परिषद् का सचिव समिति का पदेन सदस्य होगा।

9.02–मान्यता समिति की बैठक परिषद् के सचिव के लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित की जायेगी परन्तु विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन मान्यता समिति की बैठक परिषद् के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है ।

9.03–परिषद् के अनुमोदन और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(1) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना, प्रतिबन्ध यह है कि मानक और नियम राज्य सरकार के अनुमोदन होने के पश्चात लागू होंगे ।

(2) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करना।

(3) परिषद् द्वारा उसे प्रतिनिहित किए गये किसी मामले पर विचार करना।

स्पष्टीकरण–"मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षाओं के लिए किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय के लिये मान्यता प्रदान करने से है ।

9.04–(क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उस वर्ष के, जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर के अपश्चात् तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए । 01 जनवरी से 31 मार्च तक रु0 5,000/– विलम्ब शुल्क के साथ आवेदनपत्र प्राप्त किये जा सकेंगें । 31 मार्च के पश्चात प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) परिषद् के सचिव द्वारा मान्यता के आवेदन पत्र तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जब तक सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट फीस के साथ आवेदन दाखिल करने के सबूत के रूप में निम्न प्रकार से न संलग्न हो :–

(एक) प्रथम बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा– रु0 10,000/–

(दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा में अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त– रु0 2,500/–

(ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9.05–विनियम 9.04 के अधीन मान्यता के लिए आवेदनपत्र की दो प्रतियाँ प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, आवेदनपत्र की द्वितीय प्रति कार्यालय अभिलेखों के रूप में रखते हुए एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में रिपोर्ट और संस्तुति सहित उसे परिषद् के सचिव के पास भेजेगा ।

परन्तु मान्यता समिति के समक्ष मान्यता का आवेदनपत्र भेजे जाने के पूर्व निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति भी जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, जहाँ आवश्यक हो संस्था की मान्यता के लिए उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट और संस्तुति प्रस्तुत कर सकता है ।

9.06–मान्यता के लिए आवेदनपत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे:–

(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है?

(ख) प्रबन्ध समिति के उप नियम, यदि कोई हो ।

(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्रव्यवहार के लिए प्राधिकृत किये गये व्यक्ति का नाम ।

(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान ।

(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था ।

(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति

(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या

(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए कोई मानदण्ड है और प्रभारित किया जाने वाला शुल्क।

(झ) साज–सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध ।

(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, . ुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था ।

(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता अपेक्षित है ।

(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडास्थल का समिति या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन भूमि/भवन/क्रीडा स्थल की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छाया प्रति तथा खतौनी, जो राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ड) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में विहित सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए ।

(ढ) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करों की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ।

9.07–परिषद् द्वारा आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में वांछित कोई अन्य सूचनायें।

9.08–रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय निरीक्षण अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेगा कि उसके दृष्टिकोण से विषयों के लिए मान्यता दी जाय अथवा नहीं।

9.09–प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था निम्नांकित शर्तों का पालन करेगी :–

(क) सोसाइटी या ट्रस्ट जो माध्यमिक संस्कृत संस्था की स्थापना करना चाहती है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत होगी।

(ख) संस्था को उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) व (2) के अधीन प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।

(ग) परिषद् द्वारा पूछी गयी सभी प्रकार की सूचनायें तद्नुसार प्रदान की जायेंगी ।

(घ) संस्था, लागू शिक्षा संहिता का पालन करेगी जो अधिनियम एवं विनियमावली से असंगत न हों और तद्नुसार कार्य करेगी ।

(ङ) किसी संस्था की विन्यास निधि सावधि जमा अथवा दस वर्षीय सुरक्षा जमा प्रमाणपत्र अथवा दस वर्षीय ट्रेजरी बचत जमा प्रमाणपत्र के रूप में या इसी प्रकार के ऐसे अन्य रूपों में होगा जिनमें ब्याज वास्तव में प्रति वर्ष दिया जाता है और कई वर्षों के लिए एकत्र नहीं होने दिया जाता है। विन्यास निधि की वार्षिक आय व उपार्जित ब्याज संस्था के अनुरक्षण कोष में प्रबन्ध तंत्र द्वारा नियमित रूप से जमा किया जायेगा । विन्यास निधि संस्था के नाम से समस्त दायित्वों से मुक्त होनी चाहिए । विन्यास निधि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) की जानी चाहिए।

(च) संस्था की आरक्षित सम्पत्ति नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में होगी जो जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) कर दी जायेगी ।

(छ) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा उपबन्ध न कर दे, कोई संस्था किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उसमें बैठने की अनुमति देगी।

(ज) संस्था छात्रावास के निवासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं स्वच्छता की व्यवस्था करेगी।

(झ) संस्था परिषद् द्वारा निर्देशित किए जाने पर अध्यापक, भवन एवं उपस्कर आदि परिषद् के लिए उपलब्ध करायेगी।

(ञ) जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना कक्षायें परिसर के बाहर नहीं व्यवस्थित की जायेंगी।

(ट) किसी विषय अथवा वर्ग में परिषद् की मान्यता के बिना कक्षायें नहीं खोली जायेंगी।

9.10–यदि परिषद् की राय हो कि कोई संस्था मान्यता प्रदान किये जाने के योग्य है तो वह परिषद के सचिव को आदेश दे सकेगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में सम्मिलित कर ले । परिषद् का सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तों पर तथा किस वर्ष की परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्रदान की गयी है । परन्तु परिषद् किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने से मना कर सकती है ,जब परिषद् के निदेशक ने अपनी संस्तुति विधारित कर दी हो ।

9.11–कोई संस्था जो प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा के रूप में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं की जायेगी जब तक कि बन्द किए जाने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था के बन्द करने के कारणों को उल्लिखित किया जाएगा,परिषद् के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय । परिषद् संस्था को बन्द करने की और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

9.12–(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4(क) के अधीन किसी संस्था की किसी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए परिषद् को सन्दर्भित करता है, तो परिषद्, संस्था के प्रबन्धक को कारण बताने के लिये नोटिस जारी करेगी कि मान्यता वापस क्यों न ले ली जाय ।

(ख) प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात परिषद् या तो मान्यता का प्रत्याहरण करेगी अथवा प्रबन्धक को नियत समय के भीतर दोषों को दूर करने की चेतावनी निर्गत कर सकती है।

(ग) यदि नियत समय के भीतर संस्था दोषों को दूर करने में असफल रहती है तो परिषद् संस्था की मान्यता वापस ले सकती है ।

9.13–निदेशक की संस्तुति पर परिषद् संस्था का नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः सम्मिलित कर सकती है ।

मान्यता के लिये मानक

(1) भूमि का क्षेत्रफल :

प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा की मान्यता के लिये संस्था के पास ग्रामीण क्षेत्रों में 650 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि जिसमें 162 वर्ग मीटर क्षेत्रफल खेल के मैदान के लिए है, होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में संस्था के पास 450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि जिसमें 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल खेल के मैदान के लिये है, होना चाहिए।

(2) भवन :

(क) प्रत्येक कक्षा के लिए संस्था के पास 15 X 20=300 वर्गफीट के कमरे होना चाहिये ।

(ख) 15 X 20=300 वर्गफीट का एक पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष

(ग) प्रशासकीय कक्ष :

(1) प्रधानाचार्य कक्ष	12 X 10 वर्गफीट
(2) अध्यापक कक्ष	12 X 10 वर्गफीट
(3) कार्यालय	12 X 10 वर्गफीट.
(4) स्टोर रुम	10 X 15 वर्गफीट
(5) प्रयोगशाला	15 X 20 वर्गफीट
(6) वैकल्पिक कक्ष	10 X 15 वर्गफीट

(घ) छत का विवरण :

(1) पक्की अथवा

(2) ऐसबेस्टस अथवा

(3) टिन शेड

(4) फर्श पक्का होना चाहिए

(ङ) मान्यता के लिए किराये के भवन पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा के अतिरिक्त श्रेणी के विषयों की मान्यता के लिए अन्य आवश्यकताएँ पूर्ण करने के बाद आवेदन पर परिषद इस दृष्टि से विचार करेगी कि मान्यता हेतु पहले से भवन की आवश्यकताएं पूरी हैं ।

(च) संस्था में अध्यापकों एवं छात्रों के लिए प्रसाधन तथा शौचालयों की पृथक–पृथक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) काष्ठोपकरण :

प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा की कक्षाओं के लिए एक सीट वाले डेस्कों तथा कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी ।

संस्था के प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए कुर्सियों, मेजों तथा श्याम पटों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ।

(4) पुस्तकालय :

रु0 2,000/– की पुस्तकें होंगी । इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त अनुभाग के लिए रु0 200/– की पुस्तकों की व्यवस्था होगी ।

(5) अध्यापन सामग्री :

रु0 500/–के मानचित्र तथा चार्ट की व्यवस्था की जायेगी ।

(6) छात्र संख्या :

प्रथमा कक्षाओं में 30 छात्र, पूर्व मध्यमा कक्षाओं में 35 छात्र तथा उत्तर मध्यमा कक्षाओं में कम से कम 40 छात्रों का नामाँकन किया जायेगा ।

अध्याय–दस

सामान्य नियम

10.01–मान्यता के लिए इच्छुक संस्थाओं के पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित अर्हताधारी अध्यापक होने चाहिए ।

10.02–पूर्व मध्यमा के लिए रु015000.00 उत्तर मध्यमा के लिए रु05000.00 अतिरिक्त जिसमें से क्रमशः वार्षिक आय रु0 900.00 तथा रु0 1200.00हो, की अतिरिक्त विन्यास निधि होगी।

10.03–5 किलोमीटर के अर्धव्यास में अन्य संस्कृत विद्यालय को मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी।

10.04–आगामी दो वर्षों तक संस्था को उच्चतर कक्षाओं की मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी, जहाँ 5% अथवा 25 छात्र (जो भी अधिक हो) अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दण्डित किए गए हों ।

10.05–उन संस्कृत संस्थाओं में उच्चतर कक्षाओं की मान्यता के लिए कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुपयोग होता हो और अनुशासनहीनता अथवा अव्यवस्था हो ।

10.06–उस संस्था की उच्चतर कक्षाओं की अग्रतर मान्यता पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिनमें अनधिकृत कक्षायें संचालित हो रही हों ।

10.07–वर्ष की 31 मार्च के उपरान्त मान्यता के लिये प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । मान्यता के मामलों का विनिश्चय उस वर्ष के 31 मई तक किया जायेगा। इस दिनांक के पश्चात कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

10.08–प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा की मान्यता पृथक–पृथक प्रदान की जायेगी।

10.09–परिषद् निम्नाँकित परीक्षायें संचालित करेगी :–

(क) प्रथमा

(ख) पूर्व मध्यमा

(ग) उत्तर मध्यमा

10.10–परिषद् की परीक्षायें परिषद् द्वारा विनिश्चित तिथियों, समय और स्थानों पर आयोजित की जायेगी।

10.11–परिषद् की परीक्षायें अंशतः मौखिक तथा क्रियात्मक और अंशतः लिखित होंगी। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षायें परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित की जायेंगी । लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्रों द्वारा होंगी तथा प्रश्न–पत्र प्रत्येक केन्द्र पर, जहाँ परीक्षा आयोजित होनी है, एक ही समय पर वितरित किये जायेंगे ।

10.12–परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र परीक्षार्थियों को तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक वे विनियमावली द्वारा यथा विनिश्चित प्रत्येक विषय में अर्ह न हो जायें ।

परन्तु यदि कोई परीक्षार्थी अपात्र पाया जाय तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रत्याहरित अथवा निरस्त कर दिया जायेगा ।

10.13–ऐसी सम्पत्ति का जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व अनुमति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है ।

10.14–संस्था के नाम परिवर्तन के लिए संस्था का प्रबन्धक नाम परिवर्तन किए जाने के प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । जिला विद्यालय निरीक्षक 15 दिनों के भीतर अपनी संस्तुति सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेगा । परिषद् का सचिव नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मान्यता समिति के समक्ष रखेगा तथा समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये नियम

10.15–(1) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी, संस्था के प्रधान को विलम्बतम उस वर्ष 31 जुलाई तक परीक्षा के लिये नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिन विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से अपना आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता–पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गए स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो ।

(2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित परिषद् के सचिव को भेजेगा । 30 सितम्बर के बाद आवेदन पत्र भेजने की दशा में संस्था का प्रधान रु0 20 प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा ।

(3) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ 10 नवम्बर तक भेजेगा।

(4) परिषद् का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा । विलम्ब की दशा में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा ।

(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा :–

(क) यह प्रमाणपत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद् की विनियमावली के अनुसार किया गया है ।

(ख) यह प्रमाणपत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है ।

(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यासों को पूरा किया है ।

(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में किसी संस्था से दो बार अनुत्तीर्ण हो चुके हैं,उन्हें किसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपस्थिति

10.16–(1) संस्था प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी इनमें परीक्षाओं तथा पाठ्य सहगामी कियाकलाप के दिवस भी सम्मिलित रहेंगे ।

(2) प्रथमा तथा पूर्व मध्यमा के किसी भी छात्र को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह दो शैक्षणिक सत्रों के मध्य नियत व्याख्यानों में से कुल का 75 प्रतिशत में उपस्थित न हुआ हो।

(3) उत्तर मध्यमा के किसी भी छात्र को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी,जब तक वह दो शैक्षणिक सत्रों में प्रत्येक विषय में जिसमें परीक्षा होनी है, में नियत 75% व्याख्यानों जिसमें क्रियात्मक कार्य यदि कोई हो,सम्मिलित है, में उपस्थित न हुआ हो ।

(4) उपर्युक्त व्याख्यानों के परिगणन के लिए एक व्याख्यान का तात्पर्य संस्था के समय-सारिणी में अनुमन्य अध्यापन/क्रियात्मक अवधि से है।

(5) उपस्थिति परिगणन में यह संस्था के प्रधान के विवेकाधीन है कि जो छात्र पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक वर्ष से अधिक अध्ययन कर चुके हों, उपस्थिति परिगणन में पूर्व मध्यमा-II या उत्तर मध्यमा-II की कक्षाओं की किसी एक वर्ष की उपस्थिति परिगणित करे । जिन छात्रों को नेशनल कैडेट कोर,प्रादेशिक सेवा दल अथवा प्रादेशिक आर्मी कैम्प अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विस्तार सेवा,अथवा सेन्ट जॉन एम्बुलेंस शिविर में अथवा क्रीडा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई हो,कक्षा में उपस्थिति के लिए वॉछित लाभ दिया जायेगा

पुनश्च— इस विनियम के अधीन कक्षा में उपस्थिति का लाभ टिप्पणी सहित दिखाया जायेगा । इस प्रकार के लाभ का समस्त लेखा भली भाँति रखा जायेगा।

(6) वे छात्र जो परिषद् की प्रथमा, पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा में अनुत्तीर्ण अथवा निरुध्द होते हैं,उनकी उपस्थिति का प्रतिशत उस वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जाएगा जिसमें वे परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

परन्तु वे छात्र जिन्होंने परिषद् की पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन किया हो,और उनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हों अथवा आवेदन पत्रों के भरने के पश्चात परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों,दो शैक्षिक सत्रों का प्रतिशत परिगणित किया जाएगा ।

"निरुध्द" का तात्पर्य किसी वैध कारण से प्रथमा, पूर्व मध्यमा, अथवा उत्तर मध्यमा में सम्मिलित होने की अनुमति न दिये जाने से है ।

(7) परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में उपस्थिति प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा की परीक्षा के लिए छात्र की उपस्थिति परिगणित कर ली जाएगी ।

(8) प्रथमा या पूर्व मध्यमा में सन्निरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्रों के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा का परिणाम सूचित किए जाने के दस दिन के पश्चात प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पणी :— अघोषित परीक्षाफल घोषित होने के बाद किसी संस्था के उत्तर मध्यमा में प्रवेश पाने वाले छात्रों की उपस्थिति की गणना भी परीक्षाफल घोषित होने के 10वें दिन से की जायेगी।

(9) कोई छात्र जो संस्था के सत्र के किसी भाग में रहा है,उसकी उपस्थिति की परिगणना उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए वॉछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिए पूर्व संस्था की उपस्थिति को परिगणित कर लिया जायेगा ।

(10) संस्था के प्रधान को, नितान्त असन्तोषजनक कार्य करने वालों को छोड़ कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है,यदि उसने परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तों को पूरा कर लिया है ।

परन्तु इस विनियम के अधीन कक्षा की पूरी संख्या के दस प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। संस्था का प्रधान छात्रों को रोकने के प्राधिकार का प्रयोग परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते हैं। इस के विरुध्द कोई अपील नहीं हो सकेगी।

(11) संस्था का प्रधान उन छात्रों को परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक सकता है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर में शारीरिक अभ्यास के लिए दी हुई वर्दियॉ,बिस्तर नहीं जमा करते अथवा परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उनकी लागत नहीं जमा कर देते हैं।

(12) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा । संस्था का प्रधान उपस्थिति में कमी का मर्षण निम्न प्रकार से कर सकता है :—

(क) प्रथमा अथवा पूर्व मध्यमा परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए 10 दिन,और

(ख) उत्तर मध्यमा के परीक्षार्थियों के लिए प्रत्येक विषय में दिये गये 10 व्याख्यान, क्रियात्मक व्याख्यानों सहित ।

उन परीक्षार्थियों के मामले में जिनकी एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है,उप मर्षण की उनकी यह सीमा आधी अर्थात 5 दिन, अथवा पॉच व्याख्यान, जैसी स्थिति हो, रह जायेगी ।

विषय परिवर्तन

10.17–संस्था का प्रधान पूर्व मध्यमा–I अथवा उत्तर मध्यमा–I में एक ही वर्ग के भीतर अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं । पूर्व मध्यमा–II अथवा उत्तर मध्यमा–II में एक ही वर्ग के भीतर अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग मे परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन अनुत्तीर्ण अथवा वर्जित परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में विषय अथवा वर्ग परिवर्तन की अनुमति परिषद के सचिव द्वारा दी जा सकती है। परिषद् का सचिव सुसंगत अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात अनुमति देगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रवेश के नियम

10.18–परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को सम्मिलित होने की अनुमति निम्न रूप से दी जा सकती है:–

(1) कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है, 14 अगस्त से पूर्व एक आवेदनपत्र विहित शुल्क सहित संस्था के प्रधान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर परिषद के सचिव को अग्रसारित करेगा, जो परीक्षार्थी द्वारा भरे जाने वाले विहित प्रपत्र पर पंजी में प्रविष्टि करेगा ।

परिषद के सचिव को आवेदन पत्र निम्न प्रकार से अग्रसारित किया जायेगा :–

(क) पूर्व मध्यमा अथवा उत्तर मध्यमा के लिए परीक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण अंकपत्रों एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ख) परीक्षार्थी द्वारा अन्तिम संस्था का स्कूल छोड़ने के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो ।

(ग) संस्था का प्रधान जो परिषद् द्वारा घोषित अग्रसारण अधिकारी है,व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अभिलेखों से सत्यापित करने के बाद परिषद् द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार परिषद् के सचिव को अग्रसारित करेगा । अपूर्ण अथवा अशुध्द आवेदन पत्र अग्रसारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं तथा इसकी सूचना परिषद् के सचिव को भेज दी जायेगी । व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा के ठीक पूर्व प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा । ऐसे अग्रसारण अधिकारियों, जो अधूरे एवं अशुध्द आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, के विरूद्ध परिषद् के सचिव द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के मामले में जो कहीं सेवारत हैं,सम्बन्धित कार्यालय के अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र अभिप्रमाणित कराया जायेगा । नियोजन सम्बन्धी तथ्य छुपाना एक अपराध होगा और इसके आधार पर सघन जाँच के पश्चात्–परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए अग्रसारण अधिकारी को नियत मूल्य देकर आवेदनपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

(3) अग्रसारण अधिकारी 25 रू0 विलम्ब शुल्क लेकर 31 अगस्त तक आवेदनपत्र स्वीकार कर सकते हैं किन्तु उनके द्वारा सम्यक रूप से परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदनपत्र 14 सितम्बर तक परिषद के सचिव तक अवश्य भेज दिया जाना चाहिए ।

(4) व्यक्तिगत परीक्षार्थी आवेदनपत्र परिषद् के सचिव को सीधे नहीं भेजेंगे। सचिव को सीधे भेजे जाने वाले सभी आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता

10.19–कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी पूर्व मध्यमा परीक्षा में निम्नांकित प्रकार से सम्मिलित होगा :–

(1) वे परीक्षार्थी जो निम्नांकित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण किये हों परन्तु परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों :–

(क) प्रथमा परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश में हुई परीक्षा जिसे पहले हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा के रूप में जाना जाता था अथवा उत्तर प्रदेश से भिन्न अन्य राज्यों द्वारा संचालित परीक्षा अथवा कोई अन्य समकक्ष परीक्षा ।

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद् यू0पी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से कक्षा–8 परीक्षा अथवा इस शर्त पर कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है तथा परीक्षायें मान्य हैं तथा कक्षा–8 की परीक्षा में संस्कृत विषय हो या उत्तर प्रदेश से बाहर की इसी प्रकार की समकक्ष परीक्षा ।

(ग) वे परीक्षार्थी जिन्होंने पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तर प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर की किसी संस्था से उत्तीर्ण की हो ।

(घ) आयु के सत्यापन के लिए अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र,यदि कोई हो,अथवा नगर पालिका परिषद् अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा, नोटरी द्वारा शपथपत्र पर प्रमाणित जन्म का प्रमाणपत्र । वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए हों किन्तु अनुत्तीर्ण हो गये हों,उनका केन्द्र अधीक्षक के द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा ।

(ङ) प्राइमरी स्कूल के अतिरिक्त किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जो किसी संस्था में अध्ययन किया हो, पूर्व मध्यमा परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि अन्तराल की अवधि उस अवधि के बराबर न हो जाय जो अध्ययन के दौरान परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक हो।

(2) (क) यदि कोई परीक्षार्थी उस वर्ग की परीक्षा में बैठना चाहता हो जिसमें उसने पिछले कैलेण्डर वर्ष में 31 जुलाई के पश्चात् परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में अध्ययन किया हो, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र नहीं होगा ।

(ख) उपर्युक्त खण्ड में किसी बात के होते हुए भी परिषद् निम्नांकित वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को प्रवेश दे सकती है :-

(एक) अपने माता पिता के स्थानान्तरण के कारण कोई परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रव्रजन किया हो ।

(दो) कोई परीक्षार्थी अपनी लम्बी बीमारी अथवा अपने माता,पिता की दुःखद मृत्यु अथवा इसी प्रकार की किन्हीं अकल्पित स्थितियों में नियमित छात्र रहने के योग्य न था ।

परन्तु ऊपर वर्णित दोनों प्रकार के मामलों में छात्र का नाम संस्था की नामावली से अन्तिम रूप से हटा दिया जायेगा,उसकी उपस्थिति 75% या इसके ऊपर होनी चाहिए। उपर्युक्त उपबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिये केवल एक वर्ष की उपस्थिति परिगणित की जाती है ।

(3) व्यक्तिगत परीक्षार्थी विशेष विषय या विषयों में अध्ययन हेतु किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं और अंशकालिक रूप से वहाँ अध्ययन कर सकते हैं।

राज्य के बाहर के परीक्षार्थी

10.20—परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है,परन्तु वे वर्तमान में अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजन कर गये हों । ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन–पत्र उस राज्य के जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जायेगा जो यह प्रमाणित करेंगे कि परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

दस रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आवेदन पत्र तथा परीक्षा के लिये नियत शुल्क 1 सितम्बर तक उस संस्था के प्रधान को भेजा जाना चाहिए जिसे परीक्षार्थी ने अपने अग्रसारण केन्द्र के रूप में चुना है । ऐसे आवेदन–पत्र जो परीक्षार्थी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषद् के सचिव को सीधे भेजे गये हों, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे ।

विषय एवं परीक्षा केन्द्र का परिवर्तन

10.21—साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।

समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होना

10.22—परिषद् के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को परिषद् की अथवा किसी अन्य स्वायत्तशासी निकाय की समकक्ष परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के प्रयोगात्मक कार्य का प्रमाणपत्र

10.23—उपर्युक्त विनियमों के होते हुए भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रयोगात्मक कार्य के विषय को चुन सकते हैं,परन्तु उन्हें उन संस्थाओं में जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, प्रयोगात्मक कार्य करना होगा । उनको इस आशय का प्रमाण–पत्र जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा । ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी को, जो उसी परीक्षा में पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण हो, उपर्युक्त प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

10.24—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र जो संस्था के प्रधान द्वारा प्रस्तुत किये जाये, अध्याय—पाँच के विनियम 5.02 के उप विनियम (14) के अधीन नियुक्त समिति द्वारा सन्निरीक्षित किये जायेंगे । समिति व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदनपत्र स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है ।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

10.25—उपर्युक्त विनियमों के होते हुए भी निम्नलिखित व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् की अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं :—

(क) कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिसने प्रथमा तथा पूर्व मध्यमा परीक्षायें उत्तीर्ण की थी,उन परीक्षाओं में अतिरिक्त विषयों या वर्गों में प्रविष्ट हो सकता है । परन्तु उसका विकल्प एक वर्ग के विषयों तक सीमित रहेगा/रहेगी।

परन्तु यह भी कि वह उन विषयो को नहीं चुन सकता/सकती जिनमें वे पहले ही उत्तीर्ण है ।

(ख) कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी जिसने उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी,वह उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषयों के साथ प्रविष्ट हो सकता है । परन्तु उसके द्वारा उन विषयों में जिसमें वह पहले ही उत्तीर्ण हो चुका/चुकी हो,से भिन्न विषयों को चुना गया हो ।

10.26—परिषद् द्वारा संचालित प्रथमा, पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा परीक्षायें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल,हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी ।

श्रेणियाँ

10.27—परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं उन्हें तीन श्रेणियों में से कोई एक श्रेणी प्रदान की जाएगी । कोई परीक्षार्थी 75% अथवा उससे अधिक कुल अंकों से उत्तीर्ण होता है, सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ दिखाया जायेगा ।

10.28—किसी भी परिस्थिति में किसी परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में एक साथ नियमित तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10.29—यदि कोई परीक्षार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उस विषय में 25% अथवा अधिक अंक अर्जित करता है तो उस विषय में समय—समय पर विनिश्चित नियमों के प्रकाश में 33% तक कृपांक दिये जा सकते हैं ।

सन्निरीक्षा : प्रक्रिया

10.30—उन परीक्षार्थियों जो मुख्य परीक्षा में केवल एक विषय में 5% से अनधिक अंकों से अनुत्तीर्ण हो की उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन शुल्क अथवा आवेदन पत्र के साथ किया जायेगा। अन्य परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा निम्न प्रकार से की जायेगी :

(क) कोई परीक्षार्थी जो परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो,सन्निरीक्षा के लिए आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

(ख) आवेदन—पत्रों के साथ रु0 40.00 का बैंक ड्राफ्ट । राज्य के बाहर के परीक्षार्थी पोस्टल आर्डर अथवा भारतीय स्टेट बैंक का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो परिषद के सचिव के पक्ष में लखनऊ में देय हो, के रूप में शुल्क भेज सकते हैं ।

(ग) ऐसे सभी सन्निरीक्षा आवेदन—पत्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर परिषद् के सचिव को रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(घ) सन्निरीक्षा के मामले में, जो परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित करता है परीक्षार्थी को संसूचित किया जायेगा, किन्तु प्रभावित न होने के मामले में कोई संसूचना नहीं दी जायेगी ।

(ङ) सन्निरीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है सन्निरीक्षा में प्रश्न में अंक प्रदान करने, अग्रेनीत करने तथा अंकों के योग का पर्यवेक्षण किया जायेगा ।

शुल्क

10.31—(क) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति तथा परिषद् की कार्यकारिणी समिति के अवधारण पर परीक्षार्थियों से निम्नाँकित शुल्क लिए जायेंगे :—

(1) प्रथमा परीक्षा के लिए शुल्क

(2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क

(3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क

(4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने के लिए शुल्क

(5) सन्निरीक्षा शुल्क

(6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(7) विलम्ब से भुगतान शुल्क

(8) प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(9) प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क

(10) प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क

(11) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र शुल्क

(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति शुल्क

(13) व्यक्तिगत आवेदन-पत्र अग्रसारण शुल्क

(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र

टिप्पणी–जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित की गयी थी उसकी 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद के कार्यालय में प्रत्येक आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए । आवेदक को एक स्टाम्प लगे हुए कागज पर शपथपत्र देना होगा,जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसमें नाम परिवर्तन का वास्तविक कारण स्पष्ट किया जायेगा तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। परीक्षार्थी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में तीन विभिन्न तिथियों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा तथा उनकी प्रतियाँ आवेदनपत्र के साथ सलंग्न करेगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के नाम परिवर्तन के आवेदनपत्र विभागाध्यक्ष द्वारा भेजे जायेंगे ।

(ग) उत्तर प्रदेश से भिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन, आवेदन–पत्र के माध्यम से किया जायेगा, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है तो उसकी सूचना परिषद् के सचिव को विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित विभाग के सचिव द्वारा दी जायेगी ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा दिये गये नाम परिवर्तन के आवेदन पत्र के मामले में नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा, यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दिया गया है तो उसकी सूचना परिषद् को सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव द्वारा तदनुसार दे दी जायेगी ।

(ङ) यदि किसी परीक्षा के लिए नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाण–पत्र में, जो परीक्षार्थी को निर्गत हुये हों, अथवा निर्गत होने हों, बिना नये शपथपत्र के किन्तु विहित निर्धारित शुल्क जमा करने पर नाम परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

(च) नाम में परिवर्तन हेतु शपथ–पत्र तथा आवेदन पत्र यथास्थिति परीक्षार्थी के पिता अथवा परीक्षार्थी के अभिभावक द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा ।

शुल्क की वापसी

10.32–परिषद की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए एक बार भुगतान किया गया शुल्क निम्नलिखित शर्तो के अधीन को छोड़कर वापस नहीं किया जायेगा :–

(1) शर्तें जिनमें पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी :–

(क) परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु

(ख) कोई परीक्षार्थी जो आगामी परीक्षा के लिए विहित शुल्क देने के पश्चात उस परीक्षा में सन्निरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके हुए परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है।

(ग) कोई परीक्षार्थी जिसने परीक्षा के लिए शुल्क को जमा किया था, परन्तु बीमारी के कारण उसमें सम्मिलित होने के योग्य नहीं है।

(2) शर्तें जिनमें 5.00रु0 कम करके शुल्क वापसी होगी :–

(क) आवेदन–पत्र अग्रसारण अधिकारी अथवा परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

(ख) जब परीक्षार्थी विहित शुल्क से अधिक धनराशि जमा कर दें ।

(ग) यदि परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से परिषद् की किसी परीक्षा के लिए शुल्क जमा कर दिया गया हो ।

टिप्पणी :–

(एक) "शुल्क" का तात्पर्य केवल परीक्षा शुल्क से है और उसमें विलम्ब शुल्क सम्मिलित नहीं है ।

(दो) शुल्क वापसी का आवेदनपत्र शुल्क जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही परिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(तीन) शुल्क वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन–पत्र की आवश्यकता नहीं है जिसका आवेदनपत्र परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो ।

शुल्क का स्थगन

10.33–कोई परीक्षार्थी जो किसी परीक्षा में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा हो, निम्नांकित दशाओं में शुल्क स्थगित रखकर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है :–

परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान गम्भीर रूप से रुग्ण था तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने परीक्षा में प्रविष्ट होने की उसकी असमर्थता प्रमाणित की हो । परीक्षार्थी के परीक्षा शुल्क स्थगित रखने का आवेदन–पत्र संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र अधीक्षक के माध्यम से परिषद् के सचिव के पास परीक्षा वर्ष की 1 मई तक पहुंच जाना चाहिए ।

टिप्पणी :–एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनःस्थगित नहीं किया जायेगा ।

प्रवेश–पत्र तथा प्राप्त करने का ढंग

10.34–परिषद् का सचिव आश्वस्त होने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद् की परीक्षा में अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, केन्द्र अधीक्षक को प्रवेश–पत्र देगा तथा इसके पश्चात केन्द्र अधीक्षक परीक्षार्थी को प्राप्त करायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रवेश पत्र परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घन्टे पूर्व प्राप्त कर सकेंगे । ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन रु0 2.00 अर्थ दण्ड देना होगा ।

यदि परिषद् का सचिव आश्वस्त हो कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो वह विहित शुल्क भुगतान कर दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है ।

बहिष्करण एवं निष्कासन

इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी :–

(1) कोई परीक्षार्थी जो किसी शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय बहिष्कृत कर दिया गया है, उसे उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(2) किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जिसे आवेदन पत्र भेजे जाने के पश्चात संस्था से निष्कासित कर दिया गया है और जिसका किसी संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है, उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

स्पष्टीकरण –(क) यदि उपर्युक्त दण्ड उसे परीक्षा अवधि में अथवा उस शैक्षिक वर्ष के समाप्ति के पूर्व दिया जाता है जिसमें परीक्षा आयोजित हुई है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) कोई परीक्षार्थी जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो दण्डित अवधि के समाप्ति से पूर्व, उसे किसी परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अंक पत्र तथा प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति

10.36–विहित शुल्क के साथ आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र तथा अंक-पत्र की दूसरी प्रति निम्नलिखित दशाओं में दे सकती है :–

(क) यदि अंक-पत्र अथवा प्रमाण पत्र खो गया हो ।

(ख) यदि अंक-पत्र अथवा प्रमाण–पत्र खराब, विरुपित अथवा कट–फट गया हो ।

(ग) यदि अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र धूमिल हो गये हों तो उन्हें परिषद् को निरस्त किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग के परीक्षार्थी को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष से कम आयु का है तो शपथपत्र यथास्थिति, पिता अथवा अभिभावक द्वारा, निष्पादित किया जायेगा।

अग्रतर यह भी कि अंकपत्र अथवा प्रमाणपत्र खो जाने या विरुपित हो जाने के मामले में राज्य के दैनिक समाचार पत्र के एक संस्करण में उक्त स्थिति बताते हुए विज्ञापित कराना होगा और इस समाचार-पत्र की प्रति परिषद् को उपर्युक्त यथाअपेक्षित शपथपत्र के साथ प्रेषित करना होगा ।

अध्याय—ग्यारह

संस्कृत भाषा उन्नयन समिति

11.01—राज्य में संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं प्रसार हेतु निम्नानुसार एक समिति होगी :—

1—परिषद् का अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा.

2—परिषद् का सचिव समिति का संयोजक होगा.

3—अधिनियम की धारा —3 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित नाम निर्दिष्ट व्यक्ति :—

(क) राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्कृत महाविद्यालय के दो प्रधानाचार्य।

(ख) तीन शिक्षा विद्।

(ग) दो उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें।

(घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति अथवा उनका नाम निर्देशिती ।

(ङ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष ।

(च) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश ।

(छ) उप निदेशक (संस्कृत), उत्तर प्रदेश।

11.02—संस्कृत भाषा उन्नयन समिति संस्कृत भाषा एवं शिक्षा के उन्नयन से सम्बन्धित विषयों या मामलों में परिषद् को परामर्श उपलब्ध करायेगी, जैसा कि उसे परिषद् या परिषद् की किसी समिति द्वारा निदेशित किये जायें ।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification number-907/XV-9-13-25(30)-2004 T.C. dated December 12, 2013:

No. 907/XV-9-13-25(30)-2004 T.C.

Dated Lucknow, December 12, 2013

The following regulations which the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education makes in exercise of the powers under section-12 *read* with sub-section (4) of section-18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000) after obtaining the previous approval of the State Government with a view to regulating the constitution, powers and duties of Committees and Sub Committees appointed by the said Board under sub-section (1) of section 18 of the said Act are hereby published as required under sub-section(1) of section 22 of the said Act.

The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers, and Duties of Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012.

CHAPTER-1

PRELIMINARY

1.01 These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012.

1.02 They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

CHAPTER-2

COMMITTEES OF THE BOARD

2.01 In addition to the Committees specified in sub-section (1) of section 18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Samskrit Education Act, 2000, the Board shall appoint the Committees of Courses for different subjects and other Committees under sub-section (3) of section 18 of the said Act.

2.02. The number of the members appointed by the Board to any Committee of Courses shall as may be decided by the Board, be not less than three and not more than seven.

2.03. The Committee of Courses for any subject shall be constituted in the following manner-

(a) members of the Board who are experts in any subject shall be elected to the Committee of Courses of the subject concerned;

(b) if members of the Board who are experts in the subject concerned are not available in adequate number, experts in the subject concerned from outside, whose names are proposed by the members of the Board, shall be appointed , provided such experts reside in Uttar Pradesh and accept membership of the committee concerned;

(c) in the case of the Committee of Courses for Constructive subjects, the members shall be appointed in such a manner that each subject of constructive group is represented by at least one expert of the subject;

(d) where names of experts in any particular subject or subjects are not proposed by the members of the Board in adequate number under clause (b) , the Chairman shall have the right to nominate experts in that subject or subjects to the extent required ;

(e) no member of the Board or outside expert shall serve on more than two Committees of Courses ;

(f) the Chairman shall have the right to cancel the appointment of any member of any Committee of Courses if it is found that the member is not an expert in the subject to the Committee of Courses to which he was appointed, provided that no such appointment shall be cancelled unless an opportunity has been afforded to the member concerned to show that he is an expert in the subject concerned.

Explanation - For the purposes of this regulation an expert in a subject means a person who possesses the minimum qualifications prescribed for appointment as lecturer to teach that subject Uttar Madhyma classes.

2.04. In case the number of members of the Board who are experts in a subject or the number of outside experts in a subject proposed by the members of the Board, exceed the number required for the constitution of the Committee of Courses in such subject, members of the Committee shall be elected by the Board by proportional representation by means of a single transferable vote.

2.05. Every Committee of the Board shall have a convener who shall, be nominated by the Board from amongst the members of the Committee concerned, provided that no person shall serve as convener of more than one Committee. In the event of the convener of any Committee ceasing to hold office, the Chairman of the Board shall nominate a substitute from amongst the member of the Committee concerned, to carry on the work till the convener nominated by the Chairman as substitute is approved by the Board for the residue of the term of the Committee.

2.06. In case of the vacancy occurred due to the expiry of term of the elected or nominated members as laid down in sub-section (1) of section-5 of U.P. Act. no 32 of 2000 and the constitution of the Board was not possible and the reconstitution of any Committee under sub -section (1) of section-18 is required, notwithstanding anything in the Regulations, the constitution of the Committee may be made by less number of members mentioned in the Regulations.

CHAPTER-3

COMMITTEES OF COURSES

3.01. The Board shall appoint a Committee of Courses in each of the subjects the classifications of which shall be made in such form and with such modification and alternations which the Board may decide from time to time.

3.02. Every committee of courses shall propose the statement of concerned subject for the consideration of the Board. The said Committee shall also propose such number of appropriate books as the committee may think fit for the recommendation and fixation by the board.

3.03. The meetings of the Committees of Courses shall be held generally in the middle of September and December. The proposal submitted by the Committee of Courses shall be sent to Curriculum Committee as soon as possible. The Curriculum Committee shall consider the proposals and submits its observations. The proposals of the Committee of the Courese along with the observation of Curriculum Committee shall be placed before the Board for its decision in the next meeting thereof.

3.04. The courses as finally approved and sanctioned by the Board shall be published in the prospectus which shall be issued by the Secretary of the Board about two years before the date of the examination for which those courses have been prescribed :

Provided that the Board may publish the prospectus for Prathma, Purva Madhyama and Uttar Madhyama or jointly for all three Examinations;

Provided further that the Board instead of publishing the Prospectus in respect of all the subjects of any of the Examinations may publish Prospectus for one or more subjects only.

3.05. (1) The Board may, in accordance with the courses as finally approved and sanctioned by it, get the text-books and other connected materials, if any, prepared in respect of subject as it may consider necessary; and after being approved by the Committee of Courses concerned and by the Chairman respectively, the Board shall get them published under the authority of the State Government. The Board shall then prescribe them as text-books.

(2) For the preparation under clause (1) of each book of any subject, which includes original writing as compiling, there shall be constituted the following Boards, *viz.* -

(i) the Board of Editors / Writers, and

(ii) the Board of Advisors.

(3) (a) Subject to the provisions of sub-clauses (b) and (c) the Board of Editors / Writers shall comprise the following :–

1. one teacher actually teaching the subject concerned to Purva Madhyama classes;
2. one teacher actually teaching the subject concerned to Uttar Madhyama classes;
3. one teacher of post-graduate / Degree College or University in the subject concerned;
4. one teacher of a Training College;
5. two Educational Experts / Subject Specialists.

(b) It shall be obligatory to include a teacher of Uttar Madhyama classes teaching the subject concerned on the Board of Editors / Writers constituted for preparation of the book for the Prathma or Purva Madhyama classes, but no Prathma or Purva Madhyama teacher of the subject concerned shall be included on the Board of Editors / Writers constituted for preparation of the book for Uttar Madhyama classes.

(c) The Chairman, if he considers it necessary, shall have the power to nominate one member in each Board of Editors / Writers in addition to the members mentioned in sub-clause (a). He shall also have the power to fill up a vacancy in the Board of Editors / Writers at his discretion as and when it occurs.

(4) The Board of Advisors shall have three members who shall be appointed from amongst the outstanding scholars of the subjects concerned.

(5) For the constitution of the Board referred to in clause (2), the Committee of Courses concerned will propose five times the names of the required number. The Chairman will appoint the required number of members for each group out of the said panel provided that if, in his opinion, it is necessary for obtaining the services of eminent scholars and subject experts, he may appoint persons from outside the panel.

(6) The Committee of Courses concerned before finally approving the book may, if it considers necessary, make suggestion to the Board of Editors / Writers during the preparation of the manuscripts.

(7) After the manuscript for a book has been finally approved, it shall be approved by the Committee of Courses concerned and by the Chairman respectively and thereafter, the Board shall get it published under the authority of the State Government.

(8) Any book prepared by the Board may, after it has continued for four examinations be changed after recommendation of the Committee of Courses after obtaining prior approval of the State Government, provided that minor changes may be made therein by the Board as and when necessary.

3.06. Notwithstanding anything in regulation 3.05 whenever the Board considers necessary it may with the approval of the State Government invite the books in a subject for a period of one year of the examination conducted by it. The Board thinks an announcement published in the *Gazette* it may put the text books before the Curriculum Committee for its reviews. In such case the reviewers and the payment of fees by the persons submitting the books shall be in the manner mentioned hereunder :

(1) The Committee of Courses shall prepare the list of names containing at least three times names of reviewers of the required number and which may be submitted by the Secretary to the

Chairman. The names of whom have been included in the list shall be well qualified in the subject in which the book is to be reviewed. The appointment of reviewers shall be made by the Chairman from such list.

(2) No member of the Committee of Courses shall be the reviewer of the books submitted for the consideration of that Committee.

(3) Where a person is the member of the Board or the Curriculum Committee or the Committee of Courses in a special subject, the book of which he is the writer or the publisher or in which his direct or indirect interest shall not deserve to be considered for any examination of the Board in that subject at any time after one month of the decision of the Board for inviting books in that subject or before the approval or fixing such books by the Board.

(4) Any person who has submitted the text book for consideration, shall not become the reviewer till his book is under consideration.

(5) Adequate secrecy shall be maintained in respect of the names of the reviewers, publishers and writers. Every reviewer shall present in detail the merits and demerits of the book. If the book is rejected, the reviewer shall give opinion thereof in writing.

(6) Every reviewer shall arrange the appropriate books in order of their merits and demerits.

(7) The remuneration for each book of Purva madhyama and Uttar madhyama classes shall be made in the following manner :-

PRATHMA AND PURVA MADHYAMA

Rs. 30, if the text book contains upto 100 pages.

Rs. 45, if the text book contains more than 100 but not exceeding 200 pages.

Rs. 60, if the text book contains more than 200 pages.

UTTAR MADHYAMA

Rs. 40, if the text book contains 100 pages.

Rs. 55, if the text book contains more than 100 but not exceeding 200 pages.

Rs. 75, if the text book contains more than 200 pages.

(8) Each text book shall be reviewed by the panel of three reviewers.

(9) Review fee shall be paid by the authors and publishers as follows:-

PRATHMA AND PURVA MADHYAMA

Rs. 300 for each text book of language subject.

Rs. 200 for each supplementary book of language subject.

Rs. 200 for each text book of other subject.

UTTAR MADHYAMA

Rs. 350 for each text book of language subject.

Rs. 250 for each supplementary book of language subject.

Rs. 250 for each text book of other subject.

(10) The fee deposited by the publishers and writer shall not be refunded, but under following circumstances fee may be refunded after the reduction of Rs. 20 :-

(a) when review of fee is not permissible, but it was paid.

(b) when text book is not reviewed while review fee was paid by the publishers and writers.

(c) where the review fee was deposited for those books that were not asked to submit.

(d) where review fee was deposited, but text book was not made available to the Board.

3.07. Notwithstanding anything contained in this chapter these regulations, the Board shall have authority to fix or approve any book or the books for the examination of any year.

3.08. Any Committees may draw the attention of the Board towards a case related to the examination and course subject or subjects with respect to the concerned subject or subjects.

3.09. The meeting of two or more of Committee of Courses may be held on the request of the Board and may make joint report on any case with which they are separately or jointly concerned.

CHAPTER-4

THE CURRICULUM COMMITTEE

4.01. The Curriculum Committee shall consist of the following :

(1) Five members of the Board elected in such a manner that at least one member shall represent each of the five categories specified in sub-section (2) of section 18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000;

(2) Director/Principals of specialized Institution of the Department and representative of National Council of Educational Research and Training who are members of the Board ;

(3) The Conveners of different Committees of Courses of subjects other than those in which the number of candidates registered in the year preceding that of election is less than fifty thousand in the High School Examination provided they are members of the Board ;

(4) The Secretary of the Board as *ex-officio* Member-Secretary.

4.02. Subject to the sanction and control of the Board, the duties of the Curriculum Committee shall be -

(a) to consider the total number of compulsory and optional subjects of each of the Board's examination ;

(b) to arrange the. standards of the courses of Prathama,-Purva Madhayama and Uttar Madhayama stages in a regular-graded order;

(c) to recommend curricula for the Intermediate Examination leading to both University and vocational courses ;

(d) to consider proposals for the introduction of new subjects and the exclusion of existing subjects ;

(e) to consider question of the formation of groups of subjects and the alternation of one group with another ;

(f) to fix the number of question papers to be set in each subject after receiving recommendations from the Committees of Courses concerned and to fix duration of time for each paper ;

(g) to propose maximum and minimum marks for each subject and for each part of a subject after receiving recommendations from the Committee of Courses concerned ;

(h) to recommend the standard of length for written examinations in different subjects after receiving recommendations from the Committees of Courses concerned ;

(i) to consider the recommendations of the Committee of Courses with regard to the courses of study ; and

(j) to prescribe minimum qualification for teachers, Heads of Institutions and other employees of Institutions ."

CHAPTER-5

EXAMINATIONS COMMITTEE

5.01. The constitution of Examinations Committee shall be made as follows:-

(a) Five members of the Board are to be elected in such a manner that atleast one member shall represent each of the five categories specified in sub-section(2) of section 18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000.

(b) The Secretary of the Board shall be the *ex-officio* convener of the Committee.

5.02. Subject to the sanction and control of the Board, it shall be the duty of Examinations Committee :

(1) to recommend the dates for holding Board's Examinations :

Provided that in any unforeseen circumstances or eventuality, the Chairman shall have the power to alter any date of examination or to order cancellation of examination in any subject or paper and holding of examinations afresh in that subject or paper;

(2) to consider the recommendations of the Committee of Courses with regard to appointment of examiners, Board of Moderators and to prepare list of Examiners and Moderators for the approval of the Board;

(3) to recommend the names of persons for appointment as Tabulators and Collators for the Examination conducted by the Board;

(4) to recommend the name of persons for appointment as Screeners for screening the answer books of candidates suspected or reported to have used unfair means at the Board's Examinations;

(5) to prescribe Forms of application to be filled up by the candidates applying for permission to appear at the Board's examinations.

(6) to prescribe Forms of Certificates, to be granted to successful candidates at the Board's Examinations;

(7) to prescribe the mode of conducting the oral and practical tests.

(8) to recommend for formation of policy about establishing the examination centers, evaluation centers and collection centers:

Provided that the Regional Joint Director of Education shall propose to establish examination Centers in the following manner through the sub-Committee constituted under his Chairmanship :

(i) District Inspector of Schools of concerned district.

(ii) Regional Deputy Inspector of Sanskrit Schools, Further-Provided that District Inspector of Schools at District Level, above mentioned sub-committee constituted by the Regional Joint Director of Education shall be formed with the help of sub-committee as follows :-

(i) District Inspector of Schools -	Chairman
(ii) One Senior Principal of Government Inter College of the District -	Member
(iii) District Basic Education Officer -	Member
(iv) One senior Principal of Secondary Sanskrit School-	Member

Provided further that the Secretary of the Board shall have the power to change or constitute them or dissolve any examination centre, evaluation centre or collection centre as may be required under circumstances.

(9) to frame rules for giving grace marks;

(10) to frame rules for giving dictation writers to the examinees;

(11) to arrange for publishing the results of the examinations of the Board;

(12) to recommend the punishment to be given to the Examinees, Moderators, Compliers and Collators found guilty of misconduct or negligence;

(13) to consider and recommend about other subject related to conduction of Examinations, assigned by the Board.

(14) to appoint a Sub Committee to scrutinize the Application Forms of private examinees for the examinations of the Board and to grant permission to appear in examinations .

CHAPTER-6

COMMITTEE OF DISPOSAL OF CASES OF UNFAIR MEANS

6.01. There shall be a Committee for disposal of cases of unfair means at the Board's Examination to be constituted by the chairman. The Committee shall consists of :-

(1) One member of the Examinations Committee or the Result Committee, who shall be the convenor of the Committee;

(2) One member nominated by the Board;

(3) One Deputy Secretary of the Board to be nominated by the Secretary.

6.02. Powers and function of the Committee :-

(1) to consider cases where examinees have concealed any facts or made a false statement in their application forms or have committed a breach of rules or regulations to secure undue admission to an examination or have used or are suspected to have used unfair means or have committed fraud or an offence involving moral turpitude or indiscipline or have appeared in the examination with the help of amanuensis in contravention of the rules or run away with answer book or have destroyed the answer book, and to award penalty which may be one or more of the following :

(a) cancellation of the examination concerned;

(b) exclusion from the examination concerned or from sub-sequent examination including higher examinations of the Board;

(c) Withdrawal of certificate of having passed the examination;

(2) to consider complaints against Centre Superintendent, Head of institution, invigilator, teacher or other employee in regard to any of their lapses, negligence or irregularities at the examination of the Board and to make recommendations in regard to punishment to be awarded to any of them;

(3) to consider such other matters which are not specified in these regulations.

(4) to exercise other such powers and functions as may be assigned to it by the Board from time to time.

CHAPTER-7

RESULTS COMMITTEE

7.01. The Results Committee shall be constituted as follows :-

(a) The Chairman of the Board as *ex-officio* Chairman.

(b)Five members of the Board to be elected whose selection shall be made in such a manner as specified in the categories of sub-section (2) of section 18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000. At least one member from each category is represented.

(c) The Secretary of the board shall be the *ex-officio* member secretary.

7.02. The following shall be the function of the results Committee under control and acceptance of the Board :

(1) to scrutinize and declare the result of the examinations conducted by the Board and to reduce the minimum pass marks as required.

(2) to scrutinize the complaints against the question papers that affect examination results.

(3) to take decision about those examinees who are unable to appear in one or two or whole subject in practical and written examination.

(4) to decide the cases of defective question papers.

(5) to decide the cases of those examinees who were permitted entry by the Superintendent of the Centre after half an hour of the examination period.

(6) to take decision about the special arrangements of the examinations of any district.

(7) to decide the cases of prior opening of question papers and granting extra time to examinees.

(8) to take decision about those candidates whose answer sheets are lost or not found after the duration of two months from the declaration of the results.

(9) to stop the results in cases of concealment of fact by the examinees, false statement in Application Forms or wrong admission through unjustified manner or illegal means in examinations or guilt of moral turpitude or indiscipline.

(10) to stop the results in cases of carrying the lethal weapons or attack over any person related to conduction of examination inside or outside of educational premises or threatening to attack or use of prohibited language or obtaining the facility of declaration of the result on the false basis.

(11) to exercise such other powers delegated by the Board from time to time.

CHAPTER-8

FINANCE COMMITTEE

8.01. The Finance Committee shall function as an advisory body in all matters concerning the finance of the Board.

8.02. The Finance Committee shall be constituted as follows :-

(a)a member of the Board who is a member of the State Vidhan Sabha - Convener .

(b)five members of the Board to be elected in such a manner that at least one member shall represent each of the five categories specified in sub-section (2) of section 18 of Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000.

(c)The Secretary of the Board, *ex-officio* Member Secretary.

8.03. The Finance Committee shall recommend for the consideration of the Board, the amount of fees to be charged for various examinations and for other things connected with the examinations.

8.04. The Finance Committee shall also recommend for the consideration of the Board, the rates of remuneration for the various remunerative jobs of the Board.

8.05. The Finance Committee shall consider and give its recommendations regarding any other financial matter concerning the Board referred to it by the Board.

CHAPTER-9

RECOGNITION COMMITTEE

9.01. The constitution of the Recognition Committee shall be made as follows :

(1)Five members of the Board to be elected as specified in sub-section (2) of section 18 of Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 representing each category.

(2)The Secretary of the Board shall be the *ex-officio* member of the Committee.

9.02. The meeting of the Recognition Committee shall be held at the office of the Secretary of the Board at Lucknow, provided under specified circumstances the meeting of the Recognition Committee can be held at any other place with prior approval of the Chairman of the Board.

9.03. Subject to the approval and control of the Board, following shall be the functions of recognition Committee :

(1) to prescribe the rules and criteria for granting recognition to the Institution provided the rules and criteria shall be applicable after approval of the state Government.

(2) to consider the application for granting recognition to Institutions.

(3) to consider any matter delegated to it by the Board.

Explanation :- Term to "give recognition" means to give recognition to Institutions for conducting the examinations of the Board for the first time or thereafter to give recognition for additional group or subject for such examinations.

9.04. (a) An application for granting of recognition to an Institution shall be made in the prescribed Form duly filled in and signed by the manager of the concerned institution and must reach in the office of the District Inspector of Schools in two copies not later than December 31st of the year preceding that in which it proposed to opening classes. The application Form may be received with a late fee of Rs 5,000.00 from 1st January to 31st March. Forms received after 31st March shall not be entertained.

(b) Application Form for recognition shall not be accepted by the Secretary of the Board till it has the crossed Bank Draft in favour of the Secretary , Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education , Lucknow as proof of filing the application along with fee as follows :-

(i)	First time Prathma, Purva Madhyama or Uttar Madhyama	- Rs. 10,000.00
(ii)	For extra subject recognition in Prathma, Purva Madhyama or Uttar Madhyama examination	- Rs. 2,500.00

(c) No action shall be taken on application received incomplete in any form.

9.05. District Inspector of Schools, on receipt of two copies of Application Form for recognition under Regulation-9.04, shall after such enquiry as he/she deems necessary make a report and recommendation regarding the fitness of the Institution for the recognition on one of the application and transmit the same to the Secretary of the Board retaining the other copy of the application for office record:

Provided that before an application for recognition is submitted before the recognition Committee the Director or his nominee who shall not be the below the rank of Deputy Director of Education, may also, where necessary, submit his report and recommendation in regard to the fitness of the Institution for recognition.

9.06. For the recognition, following description in the Application Form shall be given in details :-

(a) Is there a genuine need of the Institution in that area?

(b) The bye-laws of the Committee of management, if any.

(c) The names of Manager and Secretary of the Institution or the name of the person empowered for correspondence.

(d) The qualifications and pay scales of the teachers.

(e) Arrangement of place for classes and hostel.

(f) Financial conditions of the Institution with sources of income.

(g) Number of student in every class.

(h) Is there a criterion for the entry of poor students and amount of fee charged.

(i) Provision for decoration, furniture and adequate library.

(j) Arrangement for health, entertainment, discipline and playground for students.

(k) Name of examination or examinations for which recognition to be desired.

(l) Availability of land, building for Institution and arrangement of place for classes along with attested photocopies of Registry (Bainama/Danpatra) of the land/ building/playground showing that the land/ building/playground are owned by the society or trust and *Khatauni* attested by revenue officer should be attached compulsorily.

(m) Construction of the school building should be made according to the security standard prescribed in the National Building Code.

(n) Arrangement of fire extinguisher equipment should be made in the school according to need. A certificate of competent authority should be attached.

9.07. Any other information desired by the Board to Application Forms.

9.08. Inspection Officer at the time of presenting the report should mention that in his views for providing or not providing recognition for subjects.

9.09. Each and every recognized Institution shall follow the following conditions :-

(a) the society or trust that desires to establish a secondary sanskrit Institution , shall be registered under the Societies Registration Act, 1860.

(b) under sub section (1) and (2) of section 24 of the said Act, the Institution should remain ready for inspection of Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama.

(c) all sorts of informations asked by the Board, shall be produced accordingly.

(d) The Institution will follow the Education code that are applicable and is not inconsisten with the Act and Regulations and will function accordingly.

(e) The Endowment Fund of an Institution may be in the form of Fixed Deposit or ten year security deposit certificate or ten years treasury saving deposit certificate or the other like forms i which the interest is actually paid every year and not allowed to be accumulated for many years The annual income of the Endowment Fund and the interest incurred shall be deposited regularl by the management in the maintenance fund of the Institution. The Endowment Fund should be i the name of the Institution free from all liabilities. The Endowment Fund should be pledged wit in the name of concerned District Inspector of Schools.

(f) The reserved property of the Institution shall be in the Form of cash or National Savin Certificates which shall be pledged to in the name of District Inspector of Schools.

(g) Unless State Government provides otherwise, any Institution shall be neither allowed to prepare the students of rival examinations nor be allowed to appear in the same.

(h) The Institution shall make arrangement for health, recreation and sanitation for hostel inmates.

(i) On being directed by the Board, the Institution shall provide teachers, building, equipments etc. for the Board.

(j) Without written permission of District Inspector of Schools, classes shall not be arranged out of the campus.

(k) Without recognition of the Board, classes shall not be opened in any subject or category.

9.10. If the Board is of the opinion that an Institution deserves for granting recognition, can direct the Secretary of the Board to include its name in the list of recognized Institutions. The Secretary of the Board shall inform the District Inspector of Schools about the recognition granted, the conditions for the recognition, year of the examination and the subjects for which recognition has been granted:

Provided that the Board may refuse to grant the recognition to any Institution when the Director has withheld his recommendation.

9.11. No Institution which is recognized by the Board as Prathama, Purva Madhyama and Uttar Madhyama shall be closed down without prior permission of the Board and unless a written notice by registered post is given to the Secretary of the Board with a copy to the Director at least one year prior to the proposed date of closure, setting fourth the reasons for the closure of the Institution. The Board may permit the closure of the Institution subject to such conditions and transfer of records of the Institution to any other Institution or authority as it may deem fit.

9.12. (a) When the Director under sub section (4) (a) of section-24 of the Act refers the withdrawal of any recognition of the Institution to the Board, the Board shall issue the notice to the Manager of the Institution to show cause why the withdrawal of recognition is not to be made.

(b) After considering over the explanation submitted by the Manager the Board can either withdraw the recognition or issue the warning to the Manager to remove the deficiencies within stipulated time.

(c) If the Institution fails to remove the deficiencies with in the stipulated time, the Board may withdraw the recognition of the Institution.

9.13. On the recommendation of the Director, the Board may reinclude the name of the Institution in the list of recognized Institutions.

NORMS FOR RECOGNISATION

(1) Area of Land :

For recognition of Prathama, Purva Madhyama and Uttar Madhyama, an institution has to have 650 square meters area of land in rural areas in which 162 square meters area is for playground. In urban areas an institution has to have 450 square meters area of land in which 120 square meters area is for playground.

(2) Building :

(a) Institution has to have 15 X 20 =300 square feet class room for each and every class.

(b) One room for library and reading 15 X 20 =300 square feet.

(c) Administrative rooms :

(1) Principal Room - 12 X 10 square feet.

(2) Teachers room - 12X10 square feet.

(3) Office - 12 X 10 square feet.

(4) Store Room - 10 X 15 square feet.

(5) Laboratory - 15 X 20 square feet..

(6) Alternative classroom - 10x15 square feet..

(d) Description of Ceiling :

(1) Firm or

(2) Asbestos or

(3) Tin Shade

(4) Floor should be firmed

(e) Building on rent shall not be considered for recognition. On an application for extra category subjects of Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama, after the fulfillment of the other requirements of recognition, Board shall consider it in view of already recognized building provisions are fulfilled.

(f) There shall be adequate arrangement of separate toilets and latrines for teachers and students in the Institution.

(3) Wooden Appliances :

For the classes of Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama single seated desks and chairs shall be arranged. For the Head, Teachers and staff of the Institution an adequate arrangement of chairs, tables and black boards are to be arranged.

(4) Library :

There shall be books of Rs. 2000.00. Besides it, there shall be arrangement of books of Rs. 200.00 for every extra section.

(5) Teaching Material :

Maps and charts of Rs. 500.00 shall be arranged.

(6) Number of Students :

30 students shall be enrolled in Prathma classes, 35 students in Purva Madhyama Classes and at least 40 students in Uttar Madhyama classes.

CHAPTER-10

GENERAL RULES

10.01. The Institution desiring for recognition shall have teachers having the qualification as decided by the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education.

10.02. There shall be an additional endowment fund of Rs. 15000.00 for Purva Madhyama and Rs. 5000.00 for Uttar Madhyama from which there shall be an annual income of Rs. 900.00 and Rs. 1200.00 respectively.

10.03. In the radius of 5 kilometer, recognition to other Sanskrit school shall not be granted.

10.04. Recognition to higher classes shall not be granted to the Institution, where 5% or 25 students (which ever is greater) are punished for using unfair means, for the next two years.

10.05. Recognition for higher classes shall not be considered to those Sanskrit Institutions where Government grants are misused, having indiscipline or disorder.

10.06. The Institution running unauthorized classes shall not be considered for further recognition for higher classes.

10.07. The application for recognition submitted after 31st of March of the year shall not be considered by the Board. Cases of recognition shall be finalized by 31st May of the year. No consideration after that date shall be made.

10.08. Recognition to Prathma, Purva Madhyama and Uttar Madhyama shall be granted separately.

10.09. The Board shall conduct the following examinations :-

(a) Prathma

(b) Purva Madhyama

(c) Uttar Madhyama

10.10. The examinations of the Board shall be held on dates, time and places decided by the Board.

10.11. The examinations of the Board shall be partly *viva-voce* and practical and partly written. *Viva-voce* and practical examinations shall be conducted by the examiners appointed by the Board according to the procedure established by the Examination Committee time to time. The written examinations shall be held through the question papers and question papers shall be distributed at one time at every center where the examination is to be held.

10.12. The certificates for examinations conducted by the Board, shall not be given to the examinees till they qualify in every subject as decided by the Regulations:

Provided that any candidate found ineligible, his/her candidature shall be cancelled and pass certificate withdrawn or cancelled.

10.13. No transfer of property belonging to or endowed for purposes of an educational institution shall be valid unless prior written permission of the Director, on the ground of the transfer being necessary or beneficial to or expedient in the interest of the institution, has been obtained.

10.14. To change the name of the institution, the manager may submit application in two copies to District Inspector of Schools along with the attested copy of the resolution of the committee of management to change the name of the institution. The District Inspector of Schools shall send his recommendation to the Secretary, Board of Secondary Sanskrit Education,U.P. Lucknow within 15 days. The Secretary of the Board shall place the proposal before the Recognition Committee and shall act accordingly to the recommendation of the committee.

RULES FOR THE ADMISSION OF REGULAR EXAMINEES

10.15. (1) The examinees of a recognized Institution desiring admission in the examination conducted by the Board, shall submit the fees fixed for the examination to the Head of the Institution latest by 31st July of the year and fill the Application Form on prescribed proforma explaining the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the Institution shall have the authority to remove the name of the student from the Institution who has not submitted the fees within the fixed period.

A regular student after filling the Application Form from any Institution, shall not be permitted to change the Institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

(2) The Head of the Institution shall send the Application Form along with the Crossed Bank Draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the Application Form after 30th September, the Head of the Institution shall pay the late fee at the rate of Rs. 20/- per Application Form.

(3) The Head of the Institution shall send the Application Form along with the late fee by 10th November.

(4) The Secretary of the Board shall arrange the Application Forms for the use to the regular examinees. In condition of delay, the Secretary shall take action as per the requirement.

(5) The Head of the Institution shall send to the Secretary of the Board the Application Forms on the prescribed proforma and the following :-

(a) The certificate that students in the Institution are admitted in accordance with the regulations of the Board.

(b) A certificate that the students completed the course from the Institution.

(c) That the students completed the exercises prescribed in the syllabus.

(d) Those students who failed two times as regular examinees from any Institution, shall not be allowed for admission in any Institution.

ATTENDANCE

10.16. (1) The Institution shall remain open for 220 working days in every academic year. The days of examination and co-curricular activities shall be included into.

(2) No student of Prathma and Purva Madhyama shall be allowed to appear in the examinations conducted by the Board until the completion of attendance of 75% of total lectures fixed between the two academic sessions.

(3) No student of Uttar Madhyama shall be allowed to appear in the examinations conducted by the Board until the completion of attendance of 75% of total fixed lectures including periods of practical works, if any, in two academic sessions in every subject in which examination is to be held.

(4) For above calculation of lectures, one lecture means the teaching / practical period allowed in the time table of the Institution:

(5) It shall be the discretion of the Head of the Institution in calculating the attendance of those students who have studied in Purva Madhyama or Uttar Madhyama for more than one year to calculate the attendance of any one year along with the attendance in Purva Madhyama-II or Uttar Madhyama-II classes. Those students who have been given permission to appear in National Cadet Core, Pradeshik Sewa Dal or Pradeshik Army Camp or Agriculture Extension Services in rural areas or Saint John Ambulance Camp or Sports or Educational Tours, shall be given desirable advantage in class attendance.

Reiteration - Under this regulation, the advantage of the attendance in the class shall be shown alongwith the comments on it. The account of advantage of such shall be kept properly.

(6) Those students who are detained or failed in Prathma, Purva Madhyama or Uttar Madhyama of the Board, their attendance percentage shall be calculated of that year in which they want to appear in the examination:

Provided that those students who have applied for the permission to appear in the examination of Purva Madhyama or Uttar Madhyama and their names are in the attendance roll of the Institution or have not appear in the examinations after filling the Application Forms percentage of two academic session shall be calculated.

Detained means not allowing appearing in Prathma, Purva Madhyama or Uttar Madhyama due to any valid reason.

(7) For attendance by the student for examination of Prathma or Purva Madhyama, the attendance from any Institution outside the dominion of the Board shall be calculated.

(8) For those students, declared pass as a result of scrutiny in the Prathma or Purva Madhyama, their academic year shall be considered to have commenced after ten days of the information of the same.

Note :- After the declaration of undeclared result, the calculation of attendance of the students admitted in Uttar Madhyama of any Institution shall be done from the tenth day of declaration of the same.

(9) Any student who has been in any part of the session in an Institution, his attendance shall be calculated for attendance percentage required for Uttar Madhyama examination including their attendance of previous Institution.

(10) No examinee shall be detained from examination by the Head of the Institution, if he has completed the conditions for appearing in the examination of the Board except the highly unsatisfactory work:

Provided that under this regulation not more than ten percent of total number of students of the class shall be barred. The Head of the Institution can use the authority to bar the student three weeks prior to the commencement of the examination. No appeal shall lie against it.

(11) The Head of the Institution can bar those students before appearing in the examination of the Board who have not deposited uniform, baggage for physical exercise in National Cadet Corps or have not deposited cost in lieu of before the commencement of the examination.

(12) Rule for minimum attendance shall be strictly followed. The Head of the Institution can condone the deficiency in the attendance as follows :-

(a) Ten days for the examinee of Prathma or Purva Madhyama examination, and

(b) Ten lectures including practical lectures given in every subject to the examinee of Uttar Madhyama.

In cases of examinee whose one year attendance is to be calculated, their limit of condonation shall be half, i.e. 5 days or 5 lectures, as the case may be.

CHANGE OF SUBJECT

10.17. The Head of the Institution can permit for change of subject within one category or from one category to another is Purva Madhyama - I or Uttar Madhyama - I. No permission shall be given for

change of subject in one category or in one category to another in Purva Madhyama - II or Uttar Madhyama - II, but under special circumstances related to failed or barred examinees can be given permission for change of subject or category by the Secretary of the Board. The Secretary of the Board shall provide the permission after the perusal of the relevant records.

RULES FOR THE ENTRY OF PRIVATE EXAMINEES

10.18. Private examinees may be allowed to appear in the examinations of the Board as follows :-

(1) A person desiring to appear as private examinee in the examinations of the Board shall forward before 14th August, the Application Form along with prescribed fees to the Secretary of the Board through the Head of the Institution, who shall make the entry in register on prescribed form to be filled by the examinee. The Application Form shall be forwarded to the Secretary of the Board as follows :-

(a) For Purva Madhyama or Uttar Madhyama, a certified copy of the mark sheets and certificate passed by the examinee.

(b) The certified copy of School Leaving Certificate of the last institute attended by examinee, if any.

(c) The Head of the Institution who is the forwarding officer declared by the Board shall forward the Application Forms of private examinees to the Secretary of the Board following the prescribed procedure established by the Board after verification from the records. Incomplete or incorrect Application Forms may be rejected by the forwarding officer and the information of the same shall be sent to the Secretary of the Board. The Application Form submitted by the private examinee just before the examination; shall not be considered under any circumstances. Action shall be taken by the Secretary of the Board against those forwarding officers who present incomplete and incorrect Application Forms.

In case of private examinees, who are in service somewhere else, shall get the Application Form attested by their officer of the concerned office. It shall be a crime to hide the fact of employment and on the basis of the same examination result shall be cancelled after thorough enquiry.

(2) For the private examinees the Application Forms can be obtained by paying fixed cost to the forwarding officer.

(3) The Forwarding officer can accept the Application Forms alongwith late fees of Rs. 25/- till 31st August, but the Application Forms duly examined and signed by them shall be sent to the Secretary of the Board till 14th September.

(4) The private examinees shall not send the Application Forms direct to the Secretary of the Board. All the Application Forms send directly shall stand cancelled.

THE ELIGIBILITY OF THE PRIVATE EXAMINEES

10.19. A private examinee shall appear in Purva Madhyama Examination as follows :-

(1) Those examinees who have passed any examination from the following provided that two years have passed after passing the examination :-

(a) Prathma examination or the examination held in Uttar Pradesh previously known as Hindustani Middle Examination or the examination conducted by other states than Uttar Pradesh or any other equivalent examination.

(b) Examination of Class-8 from the Institution recognized by U.P. Board of Secondary Education or Educational Department of the Uttar Pradesh or similar examination outside of Uttar Pradesh on the condition that the school is recognized and the examination are acknowledged and has passed the examination in Sanskrit subject in Class 8th.

(c) Those examinees who have passed Purva Madhyama or any other equivalent examination from the Institution in or outside Uttar Pradesh opting Sanskrit as a subject.

(d) For verification of age, transfer certificate of last attended Institution, if any, or birth certificate from Municipal Board or an oath certificate duly attested by First Class Magistrate or Notary. Those Private Examinees who have appeared in High School Examination but have failed, their age certificate issued by the Centre Superintendent shall also be accepted.

(c) Any examinee who has studied in an Institution except Primary School shall not be allowed as private examinee in Purva Madhyama Examination until the gap period is equal to that period which is required to appear in the examination during study.

(2) (a) If any examinee desiring to appear in that category of examination in which he studied after 31st of July of previous calendar year in any Institution recognized by Board shall not be eligible to appear private examinee.

(b) Notwithstanding anything else in above clause, the Board may admit the following category of private examinees :-

(i) Any examinee who has migrated in the State of Uttar Pradesh due to transfer of the parents thereof.

(ii) Any examinee who was not able to be a regular student due to his prolonged sickness or the sad demise of his / her parents or any unforeseen circumstances of similar category:

Provided that in both above mentioned cases, the name of the student shall be finally removed from the nominal roll of the Institution, his/her attendance should be 75% or above. The above provision shall not be applied to those students for which only one year attendance is calculated.

(3) Private examinees may seek admission in any Institution for studies in special subject or subjects and may study there part time.

THE EXAMINEES OF OUT OF THE STATE

10.20. The examinees residing outside of the territorial jurisdiction of the Board, can be allowed to appear as private examinees in the examinations of the Board provided that they are still permanent inhabitants of Uttar Pradesh at present and due to some adequate reasons have migrated temporarily in other States. The Application Forms of such examinees shall be forwarded by the District Education Officer or competent authority of that states who shall certify that the examinee is a resident of Uttar Pradesh.

The Application Forms along with Rs. 10.00 as registration fee and the fees fixed for the examination shall be sent till first September to the Head of the Institution that examinee has opted his/her forwarding centre. Such Application Forms sent directly to the Secretary of the Board by the examinee or competent authority shall be rejected.

CHANGE OF SUBJECT AND EXAMINATION CENTRE

10.21. Ordinarily the private examinees shall not be given permission of change of subject and examination centre.

TO APPEAR IN EQUIVALENT EXAMINATIONS

10.22. The private examinees of the Board shall not be given permission to appear in equivalent examinations of the Board or any other autonomous body.

THE CERTIFICATE OF PRACTICAL WORK OF THE PRIVATE EXAMINEES

10.23. Notwithstanding in above regulations, the private examinees can opt the subjects of practical work provided they have to do practical work in those Institutions that are recognized by the Board. They have to submit a certificate of the same by the end of January. A private examinee has not to submit the above certificate he failed last year in the same examination.

PRIVATE EXAMINEES COMMITTEE

10.24. The Application Forms of private examinee submitted by the Head of the Institution, shall be scrutinized by a Committee appointed under the sub-regulation (14) of Regulation 5.02 of Chapter 5. The Committee may accept or reject the Application Forms of private examinees.

ELIGIBILITY TO APPEAR IN ADDITIONAL SUBJECTS

10.25. Notwithstanding in the above regulations the following private examinees may appear in the examinations of the additional subjects of the Board.

(a) A private examinee who passed Prathama and Purva Madhyama Examinations may be admitted to those examinations with additional subjects or categories :

Provided that his / her option shall be confined to the subjects of one category.

It is further provided that he/she can not opt those subjects in which they are already passed.

(b) A private examinee who passed Uttar Madhyama examination can appear in Uttar Madhyama Examination with additional subjects:

Provided that he/she might have opted additional subjects other than those in which he / she has already passed.

10.26. That the Prathama, Purva Madhyama and Uttar Madhyama examinations conducted by the Board shall be equivalent to Junior High School, High School and Intermediate Examinations conducted by the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh, Allahabad.

DIVISION

10.27. The examinees who pass the examinations conducted by the Board shall be awarded either of three divisions. An examinee securing 75% or above of total marks shall be awarded having passed with honor.

10.28. Under any circumstances an examinee can not be permitted in the examination conducted by the Board as regular and private candidate simultaneously.

10.29. In case an examinee fails in a subject and secures 25% or more marks in that subject may be given grace marks up to 33% in that subject in the light of the rules determined from time to time.

SCRUITINY - PROCEDURE

10.30. The answer books of those examinees who failed in only one subject by not more than 5% marks in main examination shall be revaluated with fee or Application Form.

The scrutiny of other examinees answer books shall be done as follows:-

(a) A examinee who appeared in the examinations of the Board may submit Application Form for scrutiny.

(b) Along with the Application Forms, a Bank Draft of Rs. 40.00 For the examinee out of the State may send the fee as postal order or crossed bank draft of State Bank of India payable at Lucknow in favour of the Secretary of the Board.

(c) All such scrutiny Forms are to be submitted to the Secretary of the Board within 30 days since the publication of the result through registry.

(d) In the matter of scrutiny, that affects the result of the examinee, shall be communicated to, but in case of no effect no communication shall be made.

(e) During scrutiny revaluation of answer-book is not made and it is scrutinized the awarding of marks in question, carrying forward and totaling of marks shall be observed.

FEES

10.31. (a) The Fees for the following shall be incurred from the examinees on the recommendation of Examination Committee and determination of the Executive Council of the Board under the provisions made in section-10 of U.P. Act no. 32 of 2000.

(1) Fee for Prathama Examination.

(2) Fee for Purva Madhyama Examination.

(3) Fee for Uttar Madhyama Examination.

(4) Fee for appearing in one or more additional subjects in main examination.

(5) Fee for scrutiny.

(6) Fee for second copy of mark sheet.

(7) Late payment fee.

(8) Fee for second copy of admit card.

(9) Fee for change in name in the certificate.

(10) Fee for second copy of certificate.

(11) Fee for migration certificate.

(12) Fee for second copy of result sheet for Head of the Institution.

(13) Private form forwarding fee.

(14) Application Form for change in name.

Note: Every Application Form shall reach the office of the Board within three years from 31st March of the Examination year in which the examination was held. The applicant has to give an affidavit on paper with affixed stamp which should be duly attested by the Class-I Magistrate or notary in which genuine reason shall be explained for change in the name and that is to be attested by the Gazzetted Officer. The examinee shall have to advertise the change of name in three different dates of local newspaper and attach the same with application form.

(b) The Application Form for change in the name of the Uttar Pradesh employees shall be sent by the Head of Department.

(c) Change in name of the Government employees of States other than Uttar Pradesh shall be done through Application Form. If similar change is made by concerned State Government, its information is to be given to the Secretary of the Board by the Head of the department or the Secretary of the related department.

(d) In case of application for change in name is given by the Central Government employee. Name shall be changed, if the similar change is made by the Central Government and the Board shall be informed accordingly by the Secretary of the concerned ministry.

(e) If name changed for any examination, the change in name in certificates of other examinations which are issued or to be issued to the examinee shall be changed without new affidavit but fees as prescribed laid down shall be deposited.

(f) The affidavit and the Application Forms for change in name shall be attested by the father of the examinee or the guardian of the examinee as the case may be.

REFUND OF FEES

10.32. Fees paid once for permission to appear in any examination of the Board shall not be refunded except under following conditions :-

(1) Conditions in which full fees shall be refunded :-

(a) Death of the examinee before examination.

(b) An examinee who has paid prescribed fees for forthcoming examination is declared successful in the same examination due to scrutiny or release of detained result.

(c) An examinee who deposited fees for the examination, but is not able to appear in the same due to sickness.

(2) Conditions in which fees shall be refunded after deduction of Rs. 5.00 :-

(a) The application is rejected either by forwarding officer or the Board.

(b) When the examinee deposited excess amount than that of prescribed fees.

(c) If any other person on behalf of the examinee has deposited the fees by mistake for any examination of the Board.

Note :-

(i) 'Fees' means only the examination fees and late fees are not included in it.

(ii) Application Form for refund of fees shall be submitted within two years of depositing the fees to the Board.

(iii) Application Form for refund of fees is not necessary in respect of that candidate whose Application Form has been rejected by the Board.

POSTPONEMENT OF FEES

10.33. Any examinee who is unable to appear in any examination shall be allowed to appear by keeping fees postponed under the following conditions :-

Examinee was seriously ill during the examination and the medical authority certified his unability to appear in the examination. Application Form of the examinee for keeping the fee postponed shall be sent to the Secretary of the Board through Head of the Institution or Centre Superintendent till 1st May of the examination year.

Note : Fees postponed once shall not be postponed again.

ADMIT CARD AND METHOD TO OBTAIN

10.34. The Secretary of the Board after being satisfied that the examinee has fulfilled the requirement of the Board shall give the admit card to Centre Superintendent and Centre Superintendent later on to the examinee.

Private examinee may obtain admit card from the Superintendent of the examination centre before 48 hours of the first day of examination. Not doing so, they shall have to pay fine of Rs.2 per day.

If the Secretary of the Board is satisfied that the admit card of examinee is lost or destroyed, he can give its second copy after the payment of prescribed fee.

RUSTICATION AND EXPULSION

10.35. Notwithstanding anything in these Regulations :-

(1) Any examinee who has been rusticated at any time within the academic year, shall not be allowed to appear in any examination to be held in that academic year.

(2) Any such examinee who was expelled from the Institution after sending Application Form and non-admission in any Institution, shall not be allowed to appear in the examination.

Explanation :-

(a) If he is given the above punishment during examination or before the end of the academic year in which the examination is held, his examination will be cancelled.

(b) Any examinee who passed the examination, shall not be allowed to appear in any examination before the end of the term of the punishment.

SECOND COPY OF MARKSHEET AND CERTIFICATE

10.36. The Board can give the second copy of the mark sheet and the certificate to any examinee under following conditions in case the examinee submits the Application Form with prescribed fees :-

(a) If the mark sheet or the certificate is lost.

(b) If the marksheet or the certificate is deformed or torn out or deteriorated.

(c) If the marksheet or the certificate is blurred, the same shall be submitted to the Board for cancellation:

Provided that the examinee of above categories shall have to present their affidavit. If the examinee is below 20 years the affidavit shall be endorsed by the father or the guardian as the case may be:

Provided further that in case of loss or deformed of mark sheet or certificate, an advertisement shall be made in daily newspaper of state circulation stating the same and a copy of newspaper shall be sent to the board with affidavit as desired above.

CHAPTER-11

SANSKRIT LANGUAGE PROMOTING COMMITTEE

11.01. To promote and expand sanskrit language in State, there shall be a following committee.

1. The chairman of the Board shall be *ex-officio* chairman of the committee.
2. The Secretary of the Board shall be the convener of the committee.
3. Following nominated members by the State Government as provided under sub-section 3 of section-3 of the Act :-

(a) Two Principals of sanskrit degree colleges maintained by the State Government.

(b) Three academicians.

(c) Two Deputy Inspectors of Sanskrit Schools.

(d) Vice-chancellor of the Sampurnanand Sanskrit University , Varanasi or his nominee.

(e) Two Heads of the Departments of Sampurnanand Sanskrit University , Varanasi.

(f) Inspector, Sanskrit Pathshalayen, Uttar Pradesh.

(g) Deputy Director, Sanskrit Uttar Pradesh.

11.02. Sanskrit Language Promoting Committee shall provide suggestions to the Board on the subjects or matters related to promoting Sanskrit Language and education as directed by the Board or any Committee of the Board.

By Order,
JITENDRA KUMAR,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 643 राजपत्र (हि०)–2013–(1368)–599 प्रतियां (क०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 सा० शिक्षा–2013–(1369)–1000 प्रतियां (क०/आफसेट)।

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF HEADS OF INSTITUTIONS, TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE INSTITUTIONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. 06/XV-9-2020-25(35)-2004 T.C.

Dated Lucknow, January 14, 2020

ARRANGEMENT OF SECTION

CHAPTER – 1

PRELIMINARY

SECTION:-

1- Short title and commencement

CHAPTER – 9

RECOGNITION COMMITTEE

2- Amendment of regulation 9.04

CHAPTER – 10

3- Amendment of regulation 10.07
4- Amendment of regulation 10.15 (1, 2, 3)

क्रम संख्या-6 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जनवरी, 2020

पौष 24, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9

(संस्कृत शिक्षा अनुभाग)

संख्या 06/पन्द्रह-9-2020-25(35)-2004 टी०सी०

लखनऊ, 14 जनवरी, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि0-3

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन 2000) की धारा 18 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उपसमितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 संशोधित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित विनियमावली बनाया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (प्रथम संशोधन) विनियमावली -2019 कही जायेगी; (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवत्त होगी|
विनियम 9.04 का संशोधन	2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2012, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में विनियम 9.04 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ -1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ -2 एततद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उस वर्ष के, जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष के 31 दिसम्बर के अपश्चात् तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। 1 जनवरी से 31 मार्च तक रु0 5,000/- विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। 31 मार्च के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।	(क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक् रूप से भरा जायेगा और उसे सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और वह उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलना विहित हो, के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन-पत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रु0 5,000/- (रुपये पांच हजार) विलम्ब शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। 31 जुलाई के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विनियम 10.07 का संशोधन	3- उक्त विनियामाली में, निचे स्तम्भ -1 दिए गए विनियम 10.07 के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ -1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ -2 एततद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
वर्ष की 31 मार्च के उपरांत मान्यता के लिए प्रस्तुत आवेदन – पत्र पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जायेगा | मान्यता के मामलों का विनिश्चय उस वर्ष के 31 मई तक किया जायेगा |	**विनियम 10.07-** मान्यता के मामलों का अंतिम रूप अगले वर्ष के 31 मार्च तक प्रदान किया जायेगा | उस दिनक के पश्चात कोई विचार नही किया जायेगा |

विनियम 10.15 का संशोधन	4- उक्त विनियमावली में, विनियम 10.15 में नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए उप विनियम (1), (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ – 2 में दिए गए उप विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात :-

<u>स्तम्भ -1</u> विद्यमान उप विनियम	<u>स्तम्भ -2</u> एततद्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम **विनियम 10.15 (1) -**
(1) परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी, संस्था के प्रधान को विलम्बतम् उस वर्ष 31 जुलाई तक परीक्षा के लिए नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिन विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिए ले रहे हैं स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र भरेंगे।	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र, 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च तक होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी, संस्था के प्रधान को विलम्बतम् उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिए ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन -पत्र भरेंगे।
नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।	नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।
संस्थागत छात्र को किसी संस्था से अपना आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गए स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात् अनुज्ञा न दे दी हो।	संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गए स्थानान्तरण से सम्बन्धित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात् अनुज्ञा न दे दी हो।
(2) संस्था का प्रधान आवेदन-पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित परिषद के सचिव को भेजेगा। 30 सितम्बर के बाद आवेदन-पत्र भेजने की दशा में संस्था का प्रधान रु0 20/- प्रति आवेदन-पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा।	(2) संस्था का प्रधान, आवेदन-पत्र रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित परिषद के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन-पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रु0 20/- प्रति आवेदन-पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा।
(3) संस्था का प्रधान आवेदन-पत्र विलम्ब शुल्क के साथ 10 नवम्बर तक भेजेगा।	(3) संस्था का प्रधान आवेदन-पत्र विलम्ब शुल्क के साथ 30 सितम्बर तक बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव |

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 06/XV-9-2020-25(35)-2004 T.C., dated January 14, 2020:

No. 06/XV-9-2020-25(35)-2004 T.C.

Dated Lucknow, January 14, 2020

The following regulations which the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education has made in exercise of the powers under section 12 read with sub-section (4) of section 18 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000) after obtaining the previous approval of the State Government with a view to amending the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012 are hereby published as required under sub-section (1) of section 22 of the said Act :

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION (CONSTITUTION, POWERS AND DUTIES OF COMMITTEES AND SUB-COMMITTEES) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub Committees) (First Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of regulation 9.04

2. In the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012, hereinafter referred to as the said regulations, in regulation 9.04 for clause (a) set-out in Column-1 below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

<u>COLUMN-1</u> Existing clause	<u>COLUMN-2</u> Clause as hereby substituted
(a) An application for granting of recognition to an institution shall be made in prescribed form duly filled in and signed by the manager of the concerned institution and must reach in the office of the District Inspector of Schools in two	(a) An application for granting of recognition to an institution shall be made in prescribed form duly filled in and signed by the manager of the concerned institution and must reach in the office of the District Inspector of Schools in two

copies not later than December 31st of the year preceding that in which it proposed to opening classes. The application form may be received with a late fees of Rs. 5,000.00 from 1st January to 31st March. Forms received after 31 March shall not be entertained.	copies from 1st April to 15th July of the year preceding that in which it was prescribed to open the classes. The application form may be received with a late fees of Rs. 5,000.00 from 16st July to 31st July. Forms received after 31st July shall not be entertained.

Amendment of regulations 10.07

3. In the said regulations for regulation 10.07 set out in Column-1 below, the regulation as set out in column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 Existing regulation	COLUMN-2 Regulation as hereby substituted
10.07 The application for recognition submitted after 31st of March of the year shall not be considered by the Board. Cases of recognition shall be finalized by 315 May of the year. No consideration after that date shall be made.	**10.07** Cases of recognition shall be finalized by 31" March of the next year. No consideration after that date shall be made.

Amendment of regualtion 10.15

4. In the said regulations, in regulation 10.15 for sub-regulations (1), (2) and (3) set out in column-1 below, the sub-regulations as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 Existing sub-regulations	COLUMN-2 Sub-regulations as hereby substituted
(1) The examinees of a recognized institution desiring admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed for the examination to the Head of Institution latest by 31st July of the year and fill the application form on prescribed proforma explaining the subject or	**10.15 (1)** (1) Academic session of Sanskrit Secondary schools under the control of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education will start from 1st April of the year and ends with 31st March of the year. The examinees of a recognized institution desiring

subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period.

A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, expect when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

(2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 30thSeptember, the head of institution shall pay the late fee at the rate of Rs. 20/- per application form.

(3) The head of institution shall send the application form along with the late fee by 10th November.

admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed for the examination to the Head of the Institution latest by 30th April of the year and fill the application form on prescribed form explaining the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period.

A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

(2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 31st July, the head of institution shall pay the late fee at the rate of Rs. 20/- per application form.

(3) The head of institution shall send the application form to the Secretary of the Board along with the late fee by 30th September.

By order,

ARADHANA SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी0 ए0पी0 565 राजपत्र- 2020-(1375) - 599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस0यू०पी0-ए०पी० 2 सा० संस्कृत शिक्षा-2020-(1376) - 300 प्रतियां क०/टी०/ऑफसेट)।

Uttar Pradesh Shasan
Sanskrit Shiksha Anubhag
(Madhyamik Shiksha Anubhag-9)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no --720/xv-9-2023-25[35]/2004tc , dated june, 2023

Notification
No. 720/xv-9-2023-25[35]/2004tc
Lucknow; Dated:30 june, 2023

In exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P.Act no. 32 of 2000) read of section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 2 of 1904), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education after obtaining the previous approval of the State Government, is pleased to make the following regulation with a view to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (the constitution, power and duties of Committees and Sub committees) Regulations, 2012 are hereby published as required under sub-section (1) of section 22 of the said Act.

The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) (Second Amendment) Regulations, 2023

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sankrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) (Second Amedment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of regulations 9.04

2. In the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as the "said regulations") for clauses (a) and (b) of regulation 9.04 set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted, namely –

COLUMN 1 Existing Clause	COLUMN 2 Clause hereby substituted
9.04: (a) An application for granting of recognition to an Institution shall be made in prescribed form fuly filled in and signed by the manager of the concerned institution and must reach in the office of the District Inspector of Schools in two copies from 1st April to 15th July of the year preceding that in which it	**9.04: (a)** An application for recognition of an institution shall be made on the prescribed form, which shall be duly filled and signed by the manager of the institution concerned and shall be submitted before the year in which the opening of classes is prescribed. Must reach in 02 copies to the office of the District Inspector of School from

-2-

was prescribed to open the classes. The Application from may be received with a late fees of Rs. 5,000.00 from 16th July to 31st July. Forms received after 31st July shall not be entertained.	01 April to July 15. The application form can be obtained from July 16 to July 31 with a late fee of Rs.5000.00 (Rupees five thousand only). Applications received after July 31 will not be accepted.
	Recognition of each diploma course Paurohityam (karmkand), Vyavharik Vastushastra, Vyavharik Jyotish and Yoga Vigyanam) will be given separately. Application for grant of recognition shall be made on the prescribed form, which shall be duly filled, which shall be signed by the manager of the institution concerned. The duration of Diploma course will be 01 year, which will be organized in 02 separate semesters. Each Diploma course will be run on self-financing basis as far as possible.
(b) Application Form for recognition shall not be accepted by the Secretary of the Board till it has the crossed Bank Draft in favour of the Secretary, Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow as proof of filing the application along with fee as follows -	**(b)** The applications for recognition will not be accepted by the Secretary of the Board unless the following documents are enclosed as proof of filing the application along with the crossed bank draft fee in favor of the Secretary, U.P. Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow-
(i) First time Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama - Rs 10000.00	(i) First time Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama - Rs 10000.00 and Rs.5000.00 for each Diploma course.
(ii) for extra subject recognition in Prathma, Purva Madhyama or Uttar Madhyama examination - Rs. 2500.00	(ii) Rs 2500.00 for the recognition of an additional subject in Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama.
(c) No action shall be taken on applications received incomplete in any form.	(c) No action will be taken on applications received incomplete in any way.

Amendment of regulations 10.08 3. In the said regulations for regulation 10.08 set out in column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely –

COLUMN-1	COLUMN-2
10.08: Recognition to Prathama, Purva Madhyama and Uttar Madhyama shall be granted seperatly.	**10.08:** Recognition to Prathama, Purva Madhyama, Uttar Madhyama and Diploma Courses shall be granted seperatly.

Amendment of regulations 10.09

4. In the said regulations for regulation 10.09 set out in column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely –

COLUMN-1	COLUMN-2
10.09: The Board shall conduct the following examination: - (a) Prathama (b) Purva Madhyama (c) Uttar Madhyama	**10.09:** The Board shall be conduct the following examination: - (a) Omitted (b) Purva Madhyama (c) Uttar Madhyama (d) Diploma Courses: - (i) Paurohityam (Karmkand) (ii) Vyavharik Vastushastra (iii) Vyavharik Jyotish (iv) Yoga Vigyanam

Amendment of regulations 10.10

5. In the said regulations for regulation 10.10 set out in column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely –

COLUMN-1	COLUMN-2
10.10 - The examinations of the Board shall be held on dates, time and places decided by the Board.	10.10- Examinations of Purva Madhyama, Uttar Madhyama and Diploma courses of the Board will be conducted on the dates, time and places as decided by the Board. (a) Recognition of Diploma courses will be given only to those institutions which are recognized by the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education and fulfill the criteria of recognition contained in Regulation 2012. (b) The Diploma courses will be conducted entirely on self-financing basis. Institutions seeking recognition should have qualified teachers as decided by the Uttar Pradesh Board of

Secondary Sanskrit Education.

(c) Diploma courses like Purohityam (Karmkand), Vyavharik Vastushastra, Vyavharik Jyotish and Yoga Vigyanam will be recognized separately.

(d) The Diploma course implemented on self-financing basis will be of one year duration divided into two semesters. The first semester will start in the month of July, the second semester will start in the month of January.

(e) Classes for Diploma courses will be conducted as per regular schedule of the school.

(f) The teaching duration of each semester shall be six months including examination.

(g) Internship. The content of the Diploma courses is divided into two semesters. In the last month of each semester, there will be a two-week internship program in which practical chapters of the subject matter of that semester will be learned. Internship will be arranged by the respective schools in an experienced institute.

The work to be done in internship will be as follows –

(a) Observation of work done by experienced teachers.

(b) Documentation of work learned in the internship.

(c) Practical experience under the direct supervision of experienced teachers.

The work done by the students in the internship will be assessed by the school, which will be part of the result of the examination.

Amendment of regulations 10.15 6. In the said regulations after Clause 5 of regulation 10.15, the following in clause shall be inserted, namely –

COLUMN-1

10.15 (1)-

(1) Academic session of Sanskrit Secondary Schools under the control of the Uttar Pradesh Board of secondary sanskrit education will start from 1st April of the year and ends with 31st march of the year. The examination of a recongnized institution desiring admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed for the examinatin to the Head of the Instituion latest by 30th April of the year and fill the apllication form on prescribed form explanning the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period. A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

(2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 31st July, the head of institution shall pay the late fee at the rate fo Rs 20/- per application form.

(3) The head of institution shall send the application form to the Secretory of the Board along with the late fee by 30th September.

(4) The secretary of the Board shall

COLUMN-2

10.15 (1)-

(1) Academic session of Sanskrit Secondary Schools under the control of the Uttar Pradesh Board of secondary sanskrit education will start from 1st April of the year and ends with 31st march of the year. The examination of a recongnized institution desiring admission in the examination conducted by the board, shall submit the fees fixed fot the examinatin to the Head of the Instituion latest by 30th April of the year and fill the apllication form on prescribed form explanning the subject or subjects which they are taking for the examination.

The Head of the institution shall have the authority to remove the name of the student from the institution who has not submitted the fees within the fixed period. A regular student after filling the application form from any institution shall not be permitted to change the institution, except when District Inspector of Schools has given permission after certifying the facts related to shifting of parents from the place of education to other place.

(2) The head of the institution shall send the application form along with the crossed bank draft to the Secretary of the Board. In condition of sending the application form after 31st July, the head of institution shall pay the late fee at the rate fo Rs 20/- per application form.

(3) The head of institution shall send the application form to the Secretory of the Board along with the late fee by 30th September.

(4) The secretary of the Board shall arrange the Application forms for the

arrange the Application forms for the use to the regular examinees. In condition of delay, the Secretary shall take action as per the requirement.

(5) The head of the Institution shall send to the secretary of the Board the Application forms on the prescribed proforma and the following:-

(a) The certificate that students in the institution are admitted in accordance with the regulations of the Board.

(b) A certificate that the students completed the course from the institution.

(c) That the students completed the exercised prescribed in the syllabus.

(d) Those student who filled two times as regular examinees from any institution, shall not be allowed for admission in any institution.

use to the regular examinees. In condition of delay, the Secretary shall the action as per the requirement.

(5) The head of the Institution shall send to the secretary of the Board the Application forms on the prescribed proforma and the following:-

(a) The certificate that students in the institution are admitted in accordance with the regulations of the Board.

(b) A certificate that the students completed the course from the institution

(c) That the students completed the exercised prescribed in the syllabus.

(d) Those student who filled two times as regular examinees from any institution, shall not be allowed for admission in any institution.

(6) 1. Candidates who have passed Uttar Madhyama (Class 12th) or equivalent examination will be eligible for admission to diploma courses. Candidates who have passed higher examination than this will also be able to take admission.

2. There will be no age limit for admission to these Diploma courses.

3. Candidates studying or serving individually/institutionally in any Board/University will be eligible for admission to this Diploma course.

4. Candidates from outside the state will not be admitted in these Diploma courses.

5. Admission will be allowed in only one Diploma course at a time.

6. A candidate taking admission in a diploma course recognized by the board will have to submit the examination form without late fees for first semester by 30 September and for second semester by 31 March.

7. The head of the institution will

forward the examination applications along with the examination fee draft to the Board. After 30th September or 31st March Rs.20/- late fee will also have to be paid at the rate of per application.

8. In case of non-payment of fees within the prescribed period, the head of the institution will have the right to strike off the name of such student from the institution. The student will not be allowed to change the institute after filling the application form in any institute.

9. Application form and examination fee for first semester examination will be sent by October 10 with late fee and application form and examination fee for second semester examination will be sent by April 30 with late fee. No application will be accepted after these dates.

10. The institution head will send the application form for the examination to the secretary of the board in the prescribed form along with the following certificates –

1. Uttar Madhyama or equivalent certificate.
2. Admission granted as per board rules.
3. Candidate is eligible for diploma course.

Amendment of regulations 10.16

7. In the said regulations after Clause 12 of regulation 10.16, the following in clause shall be inserted, namely -

10.16 - (13) 1. The institution will remain open on 120 working days in every semester, including the days of examinations and extra-curricular activities.

2. No student of the Diploma course shall be permitted to appear in the examination conducted by the Board unless he/she has attended a total of 75% of the lectures delivered in each semester.

3. Lectures for the purpose of counting lectures means teaching/functional periods planned in the time table of the institution.

Amendment of regulations 10.26 8. In the said regulations, for regulation 10.26 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely –

COLUMN-1 Existing regulation	COLUMN-2 Regulation as hereby substituted
10.26 The Prathamya, Purva Madhyama and Uttar Madhyama examinations conducted by the Board shall be equivalent to Junior High School, High School and Intermediate Examinations conducted by the Board of Secondary Education, Uttar Pradesh, Prayagraj.	10.26 (I) The examinations of Purva Madhyama and Uttar Madhyama conducted by the Board will be equivalent to High School and Intermediate examinations conducted by UP Board of Secondary Education, Prayagraj. (II) The equivalency of diploma courses will be equivalent to one year diploma courses of any board or institution in India will be equivalent.

Amendment of regulations 10.31 9. In the said regulations, for regulation 10.31 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be substituted, namely –

COLUMN-1 Existing regulation	COLUMN-2 Regulation as hereby substituted
10.31 (a) Under the provisions of Section 10 of UP Act No. 32 of 2000, on the recommendation of the Examination Committee and the concept of the Board's Executive Committee, the following fees will be charged from the examinees: - (1) Fee for Prathma examination. (2) Fee for Purva Madhyma Examination. (3) Fee for Uttar Madhyma Examination. (4) Fee for appearing in one or more additional subjects in the main examination. (5) Fee for scrutiny. (6) Fee for second copy of marksheet. (7) Late payment fee. (8) Fee for second copy of admit card.	10.31 (a) Under the provisions of Section 10 of UP Act No. 32 of 2000, on the recommendation of the Examination Committee and the consensus of the Board's Executive Committee, the following fees will be charged from the examinees: - (1) Omitted. (2) Fee for Purva Madhyma Examination. (3) Fee for Uttar Madhyma Examination. (4) Fee for appearing in one or more additional subjects in the main examination. (5) Fee for scrutiny. (6) Fee for second copy of marksheet. (7) Late payment fee. (8) Fee for second copy of admit card. (9) Fee for change in name in the certificate.

(9) Fee for change in name in the certificate.
(10) Fee for second copy of certificate.
(11) Fee for migration certificate.
(12) Fee for second copy of result sheet for Head of the Institution.
(13) Private Form forwarding fee.
(14) Application Form for change in name.

(10) Fee for second copy of certificate.
(11) Fee for migration certificate.
(12) Fee for second copy of result sheet for Head of the Institution.
(13) Private Form forwarding fee.
(14) Application Form for change in name.
(15) Examination fee for Diploma courses.

Eligibility for Admission -

1. Candidates who have passed Uttar Madhyama (Class 12th) or equivalent examination will be eligible for admission. Candidates who have passed higher examination than this will also be able to take admission.
2. There will be no age limit for admission to these Diploma courses.
3. Candidates studying or serving individually/institutionally in any Board/University will be eligible for admission to this Diploma course.
4. A candidate taking admission in a diploma course recognized by the board will have to submit examination fee along with the examination application form in the first semester by 30 September and in the second semester by 31st March.
5. The head of the institution will forward the examination application forms along with the examination fee in the form of bank draft to the Board. After 30th September or 31st March Rs.20/- late fee will also have to be paid at the rate of per application.
6. In case of non-payment of fees within the prescribed period, the head of the institution will have the right to strike off the name of such student from the institution. The student will not be allowed to change the institute

after filling the application form in any institute.

7. Application form and examination fee for first semester examination will be sent by October 10th with late fee and application form and examination fee for second semester examination will be sent by April 30th with late fee. No application will be accepted after these dates.

8. The institution head will send the application form for the examination to the secretary of the Board in the prescribed form along with the following certificates-

A. certificate that the admission of students in the institution has been done as per the rules of the Board.

B. Certificate to the effect that the concerned student is eligible for Diploma course.

Attendance –

1. The rule of minimum attendance will be strictly followed. The head of the organization can condone for the shortfall in attendance in the following ways-

(a) Five days for the candidates appearing for each semester's examination.

(b) Absence of 10 days can be granted with the permission of the Sanskrit Education Board.

Leave –

Every learner can be given leave in special circumstances for a period of one year as follows-

1. Casual leave of 05 days in every semester.

2. Medical leave of 20 days in both the sessions.

The application for leave will be sent

to the principal through the class teacher. The record of leave will be kept by the Principal.

Re-admission -

1. If the student remains absent continuously for 10 days without any leave, his/her guardian will be informed by letter. If he does not come to school by the date given in the letter, his name will be struck off.
2. Normally there shall be no provision for re-admission.
3. If the attendance is less than 75%, he/she will not be admitted to the subsequent semester examination but will be given the opportunity of re-admission in the first semester of the next batch. In case of re-admission, the fee for that semester has to be paid.

Examination -

(a) There will be two examinations for one year Diploma course. The first semester of the academic session will start from July, its examinations will be held in December. The second semester will start from January and exams will be held in June.

(b) Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow will be responsible for conducting the examination.

(c) There will be four question papers of 100 marks in each semester. There will be internal assessment through internship of 100 marks in each semester. Division will be given like other board exams. In case of failure in any one subject, grace mark of 10 marks separately in both the semesters will also be payable.

-12-

(d) The admit card for appearing in the examination will be issued by the Board, which will be verified by the school concerned and will be issued to the student for any reason. If a second admit card is sought, a fee of Rs.50/- will be charged. Will be payable.

(e) If found using unfair means at the time of examination, he/she will be expelled from the examination and will not be re-examined for one year. The chances of appearing in the second semester examination in whole or in part shall not exceed three.

Payment of Rs. 500/- will be made through bank draft in favor of Secretary, Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow, through affidavit and copy of advertisement in the most circulated newspaper of the state.

Scrutiny-

1. Like other examinations of the Sanskrit Education Board, there will be a system of scrutiny in this too.
2. Fee has to be paid at the rate of Rs 50/-per question paper.
3. A student who fails in one paper will be allowed admission in the second session. Along with the examination of the second semester, the examination of the failed subject of the first semester will have to be given. A student who fails in one subject in the second semester will be given a chance to appear in the examination of the next semester. Thus, the chance will be more than three.

Course fee -

Fee for Diploma course will be

Rs.5000/- per semester, out of which Rs.600/- per student per semester will have to be remit to the Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parishad, Lucknow as examination fee in the form of bank draft alongwith examination form. Remaining amount can be utilized by school for teaching and teacher provision.

Teacher for the course -

1. Arrangement of teacher for the concerned course will be done by the manager at the local level. Which will be approved by the concerned District Inspector of School.
2. A teacher of that qualification will be eligible for teaching, who has the qualification of teaching Uttar Madhyama.
3. Arrangement of teachers will be done by the management authority under completely self-financing scheme. Recognition of the above courses will be given as completely finance-free.

The recognition of the above courses will be given as completely finance-free. For this, no expenditure will be borne from the department/ government level.

By Order,

(Deepak Kumar)
Additional chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृत शिक्षाअनुभाग
(माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9)
<u>अधिसूचना</u>

संख्या-720 /पन्द्रह-9-2023-25(35)/2004 टी0सी0
लखनऊ; दिनांक:30 जून, 2023

उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद
(समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य)
(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गज़ट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9.04 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2012 (जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 9.04 के खंड (क) और (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
9.04: (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और उसे संबंधित संस्था के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह उस वर्ष के जिसमे कक्षाओ को खोलना विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रू0 5000.00 (पाँच हजार रूपये) विलम्ब	9.04: (क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर दिया जायेगा, जो सम्यक रूप से भरा जायेगा और उसे संबंधित संस्था के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह उस वर्ष के जिसमे कक्षाओ को खोलना विहित हो के पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई तक रू0 5000.00 (पाँच हजार रूपये) विलम्ब शुल्क के साथ प्राप्त किया

शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।	जा सकता है। 31 जुलाई के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
	प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा पौरोहित्यम् (कर्मकाण्ड), व्यावहारिक वास्तुशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम् की मान्यता अलग-अलग दी जायेगी। मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन विहित प्रपत्र पर किया जाएगा, जो सम्यक रूप से भरा जाएगा तथा जिस पर संबंधित संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो 02 अलग-अलग सेमेस्टर में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथासंभव स्ववित्त पोषित आधार पर चलाया जाएगा।
(ख) मान्यता के लिए आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन करने के प्रमाण के रूप में शुल्क के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता है -	(ख) परिषद के सचिव द्वारा मान्यता के लिए आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि सचिव,उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट शुल्क के साथ आवेदन दाखिल करने के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ न संलग्न हो :-
(i) पहली बार प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा - रुपये 10000.00	(एक) पहली बार प्रथमा,पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के लिए रुपये 10000.00 एवं प्रत्येक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए रुपये 5000.00 ।
(ii) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा परीक्षा में अतिरिक्त विषय मान्यता के लिए - रुपये 2500.00	(दो) प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा में एक अतिरिक्त विषय की मान्यता के लिए रुपये 2500.00 ।
(ग) किसी भी रूप में अपूर्ण प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।	(ग) किसी भी प्रकार से अपूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

विनियम 10.08 का संशोधन

3. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.08 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.08: प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा को अलग-अलग मान्यता दी जाएगी।	10.08: प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता अलग-अलग दी जाएगी।

विनियम 10.09 का संशोधन

4. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.09 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.09: परिषद निम्नलिखित परीक्षा आयोजित करेगा: - (क) प्रथमा (ख) पूर्व मध्यमा (ग) उत्तर मध्यमा	10.09: परिषद निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करेगी : - (क) निकाल दिया गया (ख) पूर्व मध्यमा (ग) उत्तर मध्यमा (घ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम:- (एक) पौरोहित्यम (कर्मकांड) (दो) व्यावहारिक वास्तुशास्त्र (तीन) व्यावहारिक ज्योतिष (चार) योग विज्ञानं

विनियम 10.10 का संशोधन

5. उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 10.10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.10 -परिषद की परीक्षाएं परिषद द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जायेंगी।	10.10- परिषद की पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं परिषद द्वारा विनिश्चित तिथियों, समयों और स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। (क) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता केवल उन संस्थानों को दी जाएगी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विनियमावली 2012 में अंतर्विष्ट मान्यता के मानदंडों को पूरा करती हैं। (ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरी तरह से स्व-वित्तपोषण के आधार पर संचालित किए जाएंगे। मान्यता चाहने वाले संस्थानों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा यथाविनिश्चित अर्ह अध्यापक होने चाहिए। (ग) डिप्लोमा पाठ्यक्रम यथा पौरोहित्यम (कर्मकाण्ड), व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानं की अलग-अलग मान्यता दी जायेगी। (घ) स्व-वित्तपोषित आधार पर क्रियान्वित

डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर जुलाई माह में एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी माह में प्रारंभ होगा।

(ड़) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं विद्यालय के नियमित अनुसूची के अनुसार संचालित की जाएंगी।

(च) प्रत्येक सेमेस्टर की शिक्षण अवधि परीक्षा सहित छह माह की होगी।

(छ) इंटर्नशिप

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु दो सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंतिम माह में दो सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा जिसमें उस सेमेस्टर की विषयवस्तु के प्रैक्टिकल चैप्टर सीखे जाएंगे। किसी अनुभवी संस्थान में संबंधित विद्यालयों द्वारा इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।

इंटर्नशिप में किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार होंगे –

(क) अनुभवीअध्यापकों द्वारा किए गए कार्यों का संप्रेक्षण।

(ख) इंटर्नशिप में सीखे गये कार्यों का दस्तावेजीकरण।

(ग) अनुभवी अध्यापकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में व्यवहारिक अनुभव।

इंटर्नशिप में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन विद्यालय द्वारा किया जाएगा, जो परीक्षा परिणाम का अंग होगा।

विनियम 10.10 का संशोधन

6. उक्त विनियमावली में विनियम 10.15 के खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.15 (1)- (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलंबतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए नियत	10.15 (1)- (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र किसी वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवेश हेतु इच्छुक किसी मान्यता प्राप्त संस्था के परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को विलंबतम उस वर्ष के 30 अप्रैल तक परीक्षा के लिए

शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन पत्र भरने के पश्चात संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहा वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानांतरण से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो ।

(2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू0 20/- प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा ।

(3) संस्था प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र बोर्ड के सचिव को भिजवायेंगे।

(4) परिषद का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।

(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा -

(क) यह प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है ।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है ।

(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है ।

(घ) वे छात्र जो संस्थागत परीक्षार्थी के

नियत शुल्क प्रस्तुत करेंगे तथा जिस विषय अथवा विषयों को वे परीक्षा के लिये ले रहे हैं, स्पष्ट करते हुए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरेंगे।

नियत अवधि के भीतर शुल्क न प्रस्तुत करने पर संस्था के प्रधान को ऐसे छात्र का नाम संस्था से हटाने का प्राधिकार होगा।

संस्थागत छात्र को किसी संस्था से आवेदन पत्र भरने के पश्चात संस्था में परिवर्तन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने माता-पिता के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था, किसी दूसरे स्थान को किए गये स्थानांतरण से संबंधित तथ्यों को प्रमाणित करने के पश्चात अनुज्ञा न दे दी हो ।

(2) संस्था का प्रधान आवेदन पत्र को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ बोर्ड के सचिव को प्रेषित करेगा। 31 जुलाई के पश्चात् आवेदन पत्र प्रेषित करने की दशा में संस्था का प्रधान रू0 20/- प्रति आवेदन पत्र की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा ।

(3) संस्था का प्रधान 30 सितम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र परिषद के सचिव को प्रेषित करेगा ।

(4) परिषद का सचिव आवेदन पत्रों को संस्थागत परीक्षार्थियो के प्रयोगार्थ व्यवस्थित करेगा। विलम्ब की स्थिति में सचिव आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगा।

(5) संस्था का प्रधान विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र और निम्नलिखित को परिषद के सचिव को भेजेगा -

(क) यह प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद की विनियमावली के अनुसार किया गया है ।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि छात्रों ने संस्था से पाठ्यक्रम पूरा किया है ।

(ग) यह कि छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम में विहित अभ्यास को पूरा किया है ।

-6

रूप मे किसी संस्था से दो बार अनुत्तरीण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) वे छात्र, जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप मे किसी संस्था से दो बार अनुर्त्तीण हो चुके हों, उन्हें किसी भी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) 1. उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे।

2. इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।

3. किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत उम्मीदवार इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

4. इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5. एक बार में केवल एक ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति होगी।

6. परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा फार्म प्रथम सेमेस्टर के लिए बिना विलम्ब शुल्क के 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर के लिए 31 मार्च तक जमा करना होगा।

7. संस्था का प्रमुख, परीक्षा आवेदनों को परीक्षा शुल्क ड्राफ्ट के साथ परिषद को अग्रेषित करेंगे। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात प्रति आवेदन रू0 20/- की दर से विलम्ब शुल्क भी देना होगा।

8. विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी भी संस्था में आवेदन पत्र भरने के पश्चात् संस्थान बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं

परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. संस्था प्रधान परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परिषद के सचिव को निर्धारित प्रपत्र में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करेगा-

1. उत्तर मध्यमा (कक्षा 12) या समकक्ष प्रमाण पत्र।
2. परिषद के नियमों के अनुसार प्रदान किया गया प्रवेश।
3. अभ्यर्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

विनियम 10.16 का संशोधन

7. उक्त विनियमावली में विनियम 10.16 के खंड 12 के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् -

10.16 - (13) 1. परीक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों के दिनों सहित प्रत्येक सेमेस्टर में 120 कार्य दिवसों में संस्था खुली रहेगी।

2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के किसी छात्र को परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 75% व्याख्यान में भाग नहीं लिया हो।

3. व्याख्यानों की गणना के प्रयोजन से व्याख्यानों का तात्पर्य संस्था की समय-सारणी में नियोजित अध्यापन/कार्यात्मक अवधि से है ।

विनियम 10.26 का संशोधन

8. उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10.26 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.26 परिषद द्वारा संचालित प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी।	10.26 (एक) परिषद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं के समकक्ष होंगी। (दो) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समकक्षता भारत में किसी परिषद या संस्था के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के समकक्ष होगी।

विनियम 10.31 का संशोधन

9. उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10.31 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् -

-8

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10.31 (क) उ0प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति तथा परिषद की कार्यकारिणी समिति के अवधारण पर परीक्षार्थियों से निम्नलिखित शुल्क लिये जायेंगे:-	10.31 (क) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन परीक्षा समिति की संस्तुति एवं परिषद की कार्यकारिणी समिति की सहमति से परीक्षार्थियों से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा:-
(1) प्रथमा परीक्षा के लिए शुल्क।	(1) निकाल दिया गया।
(2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।	(2) पूर्व मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
(3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।	(3) उत्तर मध्यमा परीक्षा के लिए शुल्क।
(4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने का लिये शुल्क।	(4) मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक अतिरिक्त विषयों में सम्मिलित होने का लिये शुल्क।
(5) संनिरीक्षा शुल्क।	(5) संनिरीक्षा शुल्क।
(6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	(6) अंकपत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(7) विलंब से भुगतान शुल्क।	(7) विलंब से भुगतान शुल्क।
(8) प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	(8) प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(9) प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।	(9) प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन का शुल्क।
(10) प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।	(10) प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(11) प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क।	(11) प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क।
(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति शुल्क।	(12) संस्था के प्रधान के लिए परीक्षाफल की द्वितीय प्रति का शुल्क।
(13) व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारण शुल्क।	(13) व्यक्तिगत आवेदन पत्र अग्रसारण शुल्क।
(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र।	(14) नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र।
	(15) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क।
	प्रवेश के लिए अर्हता - 1. उत्तर मध्यमा (कक्षा 12वीं) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे। 2. इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। 3. किसी परिषद/विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से अध्ययनरत या सेवारत अभ्यर्थी इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

4. परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क 30 सितम्बर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर में 31 मार्च तक जमा करना होगा।

5. संस्था प्रधान, बैंक ड्राफ्ट के रूप में परीक्षा शुल्क सहित परीक्षा आवेदन पत्र परिषद को प्रेषित करेगा। 30 सितम्बर अथवा 31 मार्च के पश्चात प्रति आवेदन की दर से रू0 20/- विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

6. विहित अवधि में शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र का नाम संस्था से काट सकता है। छात्र को किसी संस्था में आवेदन पत्र प्रस्तुत के पश्चात संस्था बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर तक तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विलम्ब शुल्क सहित 30 अप्रैल तक प्रेषित किया जायेगा। इन तिथियों के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. संस्था प्रमुख परीक्षा हेतु आवेदन पत्र परिषद के सचिव को विहित प्रपत्र में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करेगा-

(क) प्रमाण पत्र कि संस्था में छात्रों का प्रवेश परिषद के नियमानुसार हुआ है।

(ख) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित छात्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

उपस्थिति -

1. न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा। संस्था का प्रमुख उपस्थिति में कमी के लिए निम्नलिखित तरीकों से क्षमा कर सकता हैं-

(क) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों के लिए पांच दिन।

(ख) संस्कृत शिक्षा परिषद की अनुमति से 10 दिनों की अनुपस्थिति दी जा सकती

-10

है।

अवकाश -

प्रत्येक शिक्षार्थी को विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार अवकाश दिया जा सकता है-

1. प्रत्येक सेमेस्टर में 05 दिन का आकस्मिक अवकाश।

2. दोनों सत्रों में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश।

अवकाश के लिए आवेदन प्रधानाचार्य को कक्षा अध्यापक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। अवकाश का रिकॉर्ड प्रधानाचार्य रखेगा।

पुनः प्रवेश -

1. यदि छात्र लगातार 10 दिनों तक बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि वह पत्र में दी गई तिथि तक विद्यालय नहीं आता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।

2. सामान्यतः पुनः प्रवेश के लिए कोई उपबंध नहीं होगा।

3. यदि उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे अनुवर्ती सेमेस्टर की परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किन्तु अगले बैच के प्रथम सेमेस्टर में पुनः प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। पुनः प्रवेश के मामले में, उस सेमेस्टर के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

परीक्षा -

(क) एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए दो परीक्षाएं होंगी। शैक्षणिक सत्र का पहला सेमेस्टर जुलाई से प्रारंभ होगा, इसकी परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से प्रारंभ होगा और जून में परीक्षा होगी।

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) प्रत्येक सेमेस्टर में 100 अंकों के चार प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में 100

अंकों के इंटर्नशिप के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन होगा। अन्य परिषद की परीक्षाओं की तरह डिवीजन दिए जाएंगे। किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर दोनों सेमेस्टर में अलग-अलग 10 अंक का ग्रेस मार्क भी देय होगा।

(घ) परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र परिषद द्वारा जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और यदि किसी कारण से छात्र द्वारा दूसरा प्रवेश पत्र मांगा जाता है, तो रु.50/- का शुल्क लेकर दूसरा प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

(ङ) यदि परीक्षा के समय छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और एक वर्ष तक पुन:परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। द्वितीय सत्र की सम्पूर्ण या आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये तीन से अनधिक अवसर प्रदान किये जाएंगे।

रुपया 500/- का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के पक्ष में शपथ पत्र एवं राज्य के सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्र में विज्ञापन की प्रति के माध्यम से किया जायेगा।

संनिरीक्षा-

1. संस्कृत शिक्षा परिषद की अन्य परीक्षाओं की तरह इसमें भी संनिरीक्षा की व्यवस्था होगी।

2. रुपये 50/- प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. एक प्रश्न पत्र में अनुतीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय सत्र में प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही प्रथम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा देनी होगी। द्वितीय सेमेस्टर में एक विषय में अनुतीर्ण होने वाले छात्र को अगले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार अवसर तीन से अधिक होगा।

-12

पाठ्यक्रम शुल्क -
डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क रु.5000/- प्रति सेमेस्टर होगा, जिसमें से रु.600/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा शुल्क के रूप में परीक्षा फार्म के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ को प्रेषित करना होगा। शेष राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा अध्यापन और अध्यापक उपबंध के लिये किया जा सकता है।

पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक -
1. संबंधित पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी। जिसे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. उस अर्हता का अध्यापक अध्यापन के लिए पात्र होगा, जिसके पास उत्तर मध्यमा अध्यापन की अर्हता हो।
3. पूर्णतः स्ववित्तपोषित योजना के अधीन अध्यापकों की व्यवस्था, प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों की मान्यता पूर्णतः वित्तविहीन रूप में दी जायेगी। इस हेतु विभाग/शासन स्तर पर कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

suresh/ uo-1

क्रम-संख्या–32(क-3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025

फाल्गुन 9, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–9

(संस्कृत शिक्षा अनुभाग)

संख्या 257 / पन्द्रह-9–2025-25(35)-2004 टी०सी०

लखनऊ, 28 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सा०प०नि०–24

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा नवीन मान्यता चाहने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रवृत्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामित्व सोसायटी / ट्रस्ट / विद्यालय के नाम पर होना अनिवार्य है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज एवं सी०बी०एस०ई आदि शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 वर्ष के रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भूमि धारण करने वाली संस्थाओं (सोसायटी / ट्रस्ट / विद्यालय) को भी मान्यता प्रदान करने का उपबंध है;

और, चूंकि, उपर्युक्त के दृष्टिगत, संस्कृत विद्यालयों की संख्या बढ़ाये जाने के प्रयोजन से संस्थाओं को 30 वर्ष के रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भी मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन शक्तियां और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप–समितियों का गठन, शक्तियों और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, जिसे पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कही जायेगी;

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9.06 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (समितियों और उप-समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य) विनियमावली, 2012 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान विनियम 9.06 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 (विद्यमान विनियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम)
9.06 मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे-	9.06 मान्यता के लिए आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से दिये जायेंगे-
(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है ?	(क) क्या उस क्षेत्र में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है ?
(ख) प्रबन्ध समिति के उप नियम, यदि कोई हो।	(ख) प्रबन्ध समिति के उपविधि, यदि कोई हो।
(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्र व्यवहार के लिए सशक्त किये गये व्यक्ति का नाम।	(ग) संस्था के प्रबन्धक तथा सचिव के नाम अथवा पत्र व्यवहार के लिए सशक्त किये गये व्यक्ति का नाम।
(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान।	(घ) अध्यापकों की अर्हतायें एवं वेतनमान।
(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था।	(ङ) कक्षाओं तथा छात्रावासों के स्थान की व्यवस्था।
(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति।	(च) आय के स्रोतों सहित संस्था की वित्तीय स्थिति।
(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या।	(छ) प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या।
(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए कोई मानदण्ड है और प्रभारित किया जाने वाला शुल्क है?	(ज) क्या निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए और प्रभारित शुल्क की धनराशि के लिए कोई मानदण्ड है?
(झ) साज-सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध।	(झ) साज-सज्जा, फर्नीचर एवं पर्याप्त पुस्तकालय के उपबन्ध।
(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था।	(ञ) छात्रों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन तथा खेल के मैदान की व्यवस्था।
(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता अपेक्षित है।	(ट) परीक्षा अथवा परीक्षाओं का नाम जिनके लिए मान्यता वांछित है।
(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल का समिति या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन भूमि/भवन/क्रीड़ास्थल की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।	(ठ) संस्था हेतु भूमि, भवन की उपलब्धता तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था साथ ही भूमि/भवन/खेल का मैदान की रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की अनुप्रमाणित छायाप्रतियां, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि भूमि/भवन/खेल के मैदान सोसायटी या ट्रस्ट के स्वामित्वाधीन हो और राजस्व अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित खतौनी अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए।

स्तम्भ–1 (विद्यमान विनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम)
(ड) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड मे निहित सुरक्षा मानको के अनुसार होना चाहिए। (ढ) विद्यालय मे आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करणों की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्षम प्राधिकार का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।	विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख पर भी दी जा सकती है। परन्तु यह है कि रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख सोसायटी/ट्रस्ट/विद्यालय के नाम पर होना चाहिए। पट्टा विलेख केवल विद्यालय संचालन के लिए होगी और इसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। पट्टा विलेख समाप्त होने के पूर्व संस्था/प्रबन्धन इसे निश्चित अवधि के लिए पुनः नवीकृत करवाएगा। पट्टा विलेख समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। (ड) क्या विद्यालय भवन का निर्माण भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता में विहित सुरक्षा मानकों के अनुसार किया गया है? (ढ) क्या विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन उपस्करणों की समुचित व्यवस्था की गयी है? सक्षम प्राधिकार का प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN Pursuance of the provision of clause (3) of Article-348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 257/XV-9-2025-25(35)-2004, T.C. dated February 28, 2025 :

No. 257/XV-9-2025-25(35)-2004 T.C.
Dated Lucknow, February 28, 2025

WHEREAS, as per the present system in force for granting recognition to the Institutions seeking new recognition by Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, it is mandatory for the ownership of the land to be in the name of the society/trust/school;

AND, WHEREAS, in the Uttar Pradesh Secondary Education Council, Prayagraj and CBSE etc. Education Boards, there is a provision for also granting recognition to institutions (society/trust/school) holding land on a registered lease deed of 30 years;

AND, WHEREAS, in view of the above, for the purpose of increasing the number of Sanskrit schools, it is necessary to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) Regulations, 2012 for granting recognition to Institutions on a registered lease deed of 30 years also;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000 (U.P. Act no. 32 of 2000) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education, after obtaining the previous approval of the State Government, hereby makes the

following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub Committees) Regulations, 2012 which are hereby published as required under sub-section (1) of section 22 of the aforesaid Act:

The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) (Third Amendment) Regulations, 2025

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub-Committees) (Third Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Amendment of Regulation 9.06

2. In the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education (Constitution, Powers and Duties of the Committees and Sub Committees) Regulations, 2012, for the existing Regulation 9.06 set out in Column-I below, the regulation as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *(Existing regulation)*	COLUMN-II *(Regulation as hereby substituted)*
09.06 For the recognition, following description in the Application Form shall be given in details:-	09.06 For recognition, the following description shall be given in the Application Form in details:-
(a) Is there a genuine need of the Institution in that Area?	(a) is there a genuine need of the Institution in that Area;
(b) The bye-laws of the Committee of management, if any.	(b) bye-laws of the Committee of management, if any;
(c) The names of Manager and Secretary of the institution or the name of the person empowered for correspondence.	(c) names of the Manager and Secretary of the Institution or the name of the person empowered for correspondence;
(d) The qualifications and pay scales of the teachers.	(d) qualifications and pay scales of the teachers;
(e) Arrangement of the place for classes and hostel.	(e) arrangement of the place for classes and hostel;
(f) Financial conditions of the Institution with sources of income.	(f) financial condition of the Institution with sources of income;
(g) Number of students in every class.	(g) number of students in every class;
(h) Is there a criterion for the entry of poor students and amount of fee charged.	(h) is there a criterion for the entry of poor students and amount of fee charged;
(i) Provision for decoration, furniture and adequate library.	(i) provision of decoration, furniture and adequate library;
(j) Arrangement for health, entertainment, discipline and playground for students.	(j) arrangement for health, entertainment, discipline and playground for students;
(k) Name of examination or examinations for which recognition to be desired.	(k) name of the examination or examinations for which recognition is desired;
(l) Availability of land, building for Institution and arrangement of place for classes along with attested photocopies of Registry (Bainama/ Danpatra) of the land/building/ playground showing that the	(l) availability of land, building for Institution and arrangement of place for classes along with attested photocopies of Registry (Bainama/Danpatra) of the land/ building/playground showing that the

COLUMN-I

(Existing regulation)

land/building/playground are owned by the society or trust and Khatauni attested by revenue officer should be attached compulsorily.

(m) Construction of the school building should be made according to the security standard prescribed in the National Building Code.

(n) Arrangement of fire extinguisher equipment should be made in the school according to need. A certificate of competent authority should be attached.

COLUMN-II

(Regulation as hereby substituted)

land/building/playground are owned by the society or trust and Khatauni attested by revenue officer should be attached compulsorily;

Recognition may also be given to schools on a registered lease deed for a period of 30 years:

Provided that the registered lease deed shall be in the name of the society/trust/school. The lease deed shall be only for operating/running the school and it shall not be used for any other work. Before the lease deed expires, the Institution/management shall get it renewed again for a fixed period. In case of expiry of the lease deed, the recognition of the Institution shall automatically end.

(m) whether the construction of the school building has been done in accordance with the security standards prescribed in the National Building Code of India (NBC);

(n) whether proper arrangement of fire extinguisher equipment has been made in the school according to need. A certificate of competent authority must be attached.

By order,

DEEPAK KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 550 राजपत्र–2025–(1468)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 माध्यमिक शिक्षा–2025–(1469)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

550 RPH 2025 (folder shiksha) data 1e